घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 254- बुधवार 15- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला...

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश...मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दें,एएसआई परिसर से छेड़छाड़ न करे

धार भोजशाला परिसर के पास हर शुक्रवार नमाज होगी

धार,14 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने को कहा है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए यह जगह दी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिना कोर्ट की मंजूरी परिसर में किसी भी तरह का बदलाव न करे। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था,जिसमें परिसर को मंदिर करार दिया गया है। सुनवाई के बाद भोजशाला संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला में नियमित पूजा-अर्चना जारी रहेगी। वहीं, तय जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर सकेंगे।

कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर मुस्लिम पक्षों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर

भोजशाला परिसर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं होगा

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की मांग स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मामले की अंतिम सुनवाई करीब तीन सप्ताह बाद की जाएगी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर नोटिस जारी करने का फैसला किया। साथ ही, मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समाज ने भोजशाला परिसर के इस स्थान पर जुम्मे की नमाज अदा की थी। बताया जा रहा है कि इसी स्थान पर प्रति शुक्रवार को नमाज 1:00 बजे से 3:00 बजे तक की सकती है। बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समाज ने भोजशाला परिसर के इस स्थान पर जुम्मे की नमाज अदा की थी। बताया जा रहा है कि इसी स्थान पर प्रति शुक्रवार को नमाज 1:00 बजे से 3:00 बजे तक की सकती है।

माना गया था और परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यानी पहले जैसी व्यवस्था बहाल नहीं होगी, जिसके तहत शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज और निर्धारित दिनों में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस विवाद पर आगे की सुनवाई बाद में होगी।

मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट के फैसले से परिसर में वर्षों से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने अदालत को बताया कि लंबे समय से शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था, जबकि मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय को परिसर में प्रवेश और नमाज से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट और उसके आधार पर दिए गए निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मुस्लिम पक्ष की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की भावना और प्रावधानों के विपरीत है।

राम मंदिर से 3 करोड़ के गबन की ट्रस्ट ने की पुष्टि

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। अयोध्या के राम मंदिर में हुए दान चोरी विवाद में पहली बार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बड़ा आधिकारिक बयान सामने आया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मंदिर से करीब तीन करोड़ रुपए की भारी-भरकम चोरी हुई है। अभी तक इस हेराफेरी की रकम को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे, जबकि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में सिर्फ 80 लाख रुपए की बरामदगी का जिक्र किया था। इसके साथ ही गोविंददेव ने 14 करोड़ रुपए के सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान चोरी होने की सभी अफवाहों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक करार दिया है।

इस्तीफे की अफवाहों पर भड़के गोविंददेव,कहा...'मैं भागने वाला नहीं'

पुणे दौरे पर पहुंचे गोविंददेव गिरी ने अपने इस्तीफे से जुड़ी तमाम अटकलों पर भी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और न ही उनके मन में ऐसा कोई विचार है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे अनुयायी हैं और किसी भी हाल में मुश्किलों से घबराकर मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं।

चंपत राय को नहीं बनाया गया 'बलि का बकरा'

ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय के इस्तीफे को लेकर मचे बवाल पर भी गोविंददेव ने अहम खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंपत राय ने अपनी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा है और उन्हें इस मामले में 'बलि का बकरा' कहना बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने बताया कि चंपत राय को खुद इस बात का एहसास था

कि व्यवस्था में कहीं न कहीं थोड़ी लापरवाही हुई है, जिसके चलते उन्होंने नैतिकता के आधार पर बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से इस्तीफा देने का फैसला किया।

एसआईटी जांच से संतुष्ट,रामलला के दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

चल रही जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा जताते हुए कोषाध्यक्ष ने कहा कि वे एसआईटी की जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं। किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है और न ही मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यह जघन्य अपराध सीधे रामलला के खिलाफ किया गया है,इसलिए जिसने भी यह पाप किया है,उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सादगी और अपनी ईमानदारी का हवाला देते हुए उन्होंने अंत में यह भी कहा कि आज वह पुणे में सिर्फ एक कमरे और रसोई वाले घर में बैठे हैं और इसकी एक ईंट तक उनके नाम पर नहीं है।

भारत बोला...होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद हो,भारतीय नाविक की मौत पर ईरानी राजदूत तलब

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में मंगलवार सुबह दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ मिशन) को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, हमले का शिकार बने दोनों जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे।

इनमें एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हुए हैं। भारत ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। उसने सभी पक्षों से हिंसा

रोकने, बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और व्यापार हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत से जुड़े 11 जहाज और 148 भारतीय नाविक फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये सभी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में जनता के साथ हो रहे घोर दुर्व्यवहारों और कुकृत्यों का संज्ञान ले तथा इन घटनाओं के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए। भारत ने कहा कि पीओजेके के गंभीर हालात पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे दमन और स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी को उजागर करते हैं।

साथ ही यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान जनता की जायज मांगों को सुनने के बजाय उन्हें बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक से इनकार

कहा-कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों को लेकर सरकार और सीबीएसई से 10 दिन में जवाब मांगा है। अब 14 दिन बाद 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल, थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी मौजूदा 2026-27 सेशन से लागू कर दी गई है। नई पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा पढ़नी होगी। ऐसे में उन्हें वे भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी, जिन्हें वे क्लास 5 से लगातार पढ़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीबीएसई ने तैयारी के बिना तीन-भाषा नीति लागू कर दी है।

भारत में पकड़ा गया अमेरिकी घुसपैठिया,स्पेशल सर्विस का कमांडो है?

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत-नेपाल बॉर्डर के पास एक अमेरिकी नागरिक को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति खुद को अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्सेज का पूर्व सैनिक बता रहा है। वो बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के अवैध रूप से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी असली पहचान और भारत में प्रवेश करने के दावों की जांच कर रही हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने 11 जुलाई को सोनौली थाना क्षेत्र के मैनहवा इलाके में गश्त के दौरान इस व्यक्ति को पकड़ा था। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 36 वर्षीय जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है। उसने खुद को

अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया है। जॉर्डन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अमेरिकी दूतावास को इस मामले की जानकारी भी दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जॉर्डन ब्राउन बेंगलुरु से सोनौली बॉर्डर तक आया था और चुपके से नेपाल सीमा पार करने की फिराक में था। जब एसएसबी के जवानों ने उसे वेरिफिकेशन के लिए रोका, तो उसने भागने की कोशिश की। हालांकि, जवानों ने पीछा करके उसे दबोच लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्थानीय लोगों की भीड़ के बीच एसएसबी जवान ब्राउन के पैर में रस्सी बांधकर उसे ले जाते हुए दिख रहे हैं। तलाशी के दौरान उसके पास से 31,460 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी एक वीडियो में स्सक्सिद्धार्थ ने कहा, '11 जुलाई को एसएसबी ने सोनौली के पास गैर-कानूनी रूप से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वो टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट खो गया। इसके बाद वो समुद्री रास्ते से श्रीलंका पहुंचा और फिर 2 नवंबर, 2025 को समंदर के रास्ते ही भारत आ गया। तब से वह गोवा में रह रहा था।' पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उसके इन दावों की पुष्टि की जा रही है। उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं, इसलिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनौली के एसएचओ महेंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी जॉर्डन ब्राउन अपनी पहचान, यात्रा के इतिहास और नेपाल जाने के मकसद को लेकर लगातार उलझाने वाले बयान दे रहा है। 'ब्राउन ने दावा किया कि उसने करीब 70 देशों की यात्रा की है और वो मई में इंडोनेशिया के बाली से भारत आया था।

20 साल का वनवास खत्म...सत्ता बदलते ही कोलकाता लौट रहीं बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन

कोलकाता,14 जुलाई 2026। लंबे समय से अपने बेबाक विचारों के लिए पहचानी जाने वाली और बांग्लादेश से निर्वासित मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कोलकाता लौट रही हैं। वह आगामी 1 अगस्त को प्रतिष्ठित रवींद्र सदन में आयोजित होने वाले एक कट्टरपंथ-विरोधी कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम में कई नामी कवि और लेखक भी भाग ले रहे हैं। खुद तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों को यह खुशखबरी दी है। उनकी इस बहुप्रतीक्षित वापसी की घोषणा के बाद से ही साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत में चर्चाओं और बहसों का एक नया दौर शुरू हो गया है।

2007 में विरोध-प्रदर्शनों के चलते छोड़ना पड़ा था शहर

तसलीमा नसरीन का कोलकाता से गहरा नाता रहा है, लेकिन अतीत में उन्हें यहां भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। गौरतलब है कि तत्कालीन वामपंथी (लेफ्ट) सरकार के कार्यकाल के दौरान तसलीमा नसरीन के खिलाफ शहर में तीव्र और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके चलते कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। इसी दबाव और सुरक्षा कारणों के चलते साल 2007 में उन्हें मजबूरन कोलकाता छोड़ना पड़ा था। इसके बाद से तसलीमा ने शहर लौटने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। नतीजतन, वह करीब दो दशकों तक कोलकाता वापस नहीं लौट सकीं।

किताब 'लज्जा' के बाद जारी हुआ था फतवा

लेखिका का विवादों से पुराना नाता रहा है। तसलीमा नसरीन को उनकी बहुचर्चित और विवादास्पद पुस्तक 'लज्जा' के प्रकाशन के बाद साल 1994 में अपना देश बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। उस समय बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था और उन्हें सरेआम जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। अपनी जान बचाने के लिए वह दो महीने तक छिपती रहीं और आखिरकार 1994 के अंत में स्वीडन चली गईं। तब से लेकर आज तक वह लगातार निर्वासन का जीवन जी रही हैं ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा बयान,भ्रष्टाचार-रोधी बिलों का मकसद गैर-बीजेपी सरकारों को कमजोर करना नहीं

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्तावित बिलों को लेकर विपक्ष की चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने संसदीय समिति को स्पष्ट किया है कि इन कानूनों का उद्देश्य गैर-बीजेपी सरकारों को कमजोर करना या संघवाद को बाधित करना नहीं है। गृह मंत्रालय के अनुसार,यदि कोई प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है,तो उसे अपने कार्यकारी पद से हटना होगा,लेकिन उसकी विधायी सदस्यता बरकरार रहेगी।

मंत्रालय का तर्क है कि इससे सरकार की स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पद से हटाए गए व्यक्ति की जगह उसी पार्टी या गठबंधन का कोई अन्य सदस्य ले सकता है। मंत्रालय ने समिति को बताया कि इस प्रावधान से लोकतांत्रिक जनादेश पूरी तरह 'अप्रभावित' रहता है। प्रस्तावित बिल के तहत,

लंबे समय तक हिरासत में रहने वाले नेता का पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा, लेकिन संबंधित पार्टी को अपना नया नेता चुनने का पूरा अवसर होगा जिसे सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। सूत्रों के अनुसार, संसद की संयुक्त समिति इस रिपोर्ट को जल्द अपना सकती है और इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह बिल सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई नेता आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में असमर्थ है, तो शासन व्यवस्था में गतिरोध पैदा न हो। गृह मंत्रालय ने इन बिलों के औचित्य को सही ठहराते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो राष्ट्रीय और राज्य के मामलों को सीधे प्रभावित करता है। यदि कोई नेता लंबे समय तक हिरासत में रहता है, तो इससे उनकी कार्यकारी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है, जिससे शासन ठप हो सकता है। मंत्रालय का मानना है कि यह प्रावधान जन-इच्छा को नकारता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि शासन प्रभावी और भरोसेमंद बना रहे। संविधान द्वारा प्रदत्त जवाबदेही तंत्र के माध्यम से नए चुनावों के बिना भी नेतृत्व में बदलाव संभव है। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति के समक्ष विपक्षी दलों ने आशंका जताई थी कि यह बिल चुनावों के जरिए व्यक्त जन-इच्छा को कमजोर करेगा।

गोरखपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

बसपा नेता हत्याकांड का इनामी आरोपी रहमान एनकाउंटर में ढेर

गोरखपुर,14 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस और एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू मारा गया। पुलिस के अनुसार, इस मुठभेड़ में एसटीएफ और खोराबार थाना पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। मुस्तफिजुल पर हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और पुलिस हिरासत से फरार होने जैसे संगीन अपराधों के 10 से अधिक मामले दर्ज थे। इस मुठभेड़ के दौरान एक मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुख्ता सूचना पर एसटीएफ की बड़ी घेराबंदी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट को गुप्त सूचना मिली कि आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र का निवासी मुस्तफिजुल रहमान रामनगर करजहा के रास्ते कुशीनगर की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही एसटीएफ और खोराबार पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इलाके की नाकेबंदी कर दी। पुलिस ने जब संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, तो उसने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुस्तफिजुल को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बसपा नेता की हत्या समेत कई वारदातों में था वांछित

मुस्तफिजुल रहमान का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और हिंसक रहा है। वह वर्ष 2021 में आजमगढ़ में हुए बसपा नेता कमालू हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस जघन्य वारदात के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की बढ़ती सख्ती और दबाव के चलते उसने उत्तर प्रदेश से पलायन कर गुजरात में पनाह ली थी। एडीजी वाराणसी की ओर से उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

महज 5 वर्ष की उम्र में 1455 पौधे लगाकर पेश की मिसाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया सम्मानित

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। वाराणसी मूल निवासी एवं वर्तमान में पंचकूला के मुख्यालय पश्चिमी कमान, भारतीय सेना में कार्यरत अपने पिता श्री ज्ञानेंद्र उपाध्याय के साथ रहने वाले 5 वर्ष 2 माह के बाल पर्यावरण प्रेमी रुद्रांश उपाध्याय को उनके उत्कृष्ट पर्यावरणीय योगदान के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। रुद्रांश

उपाध्याय अपने स्वयं के पर्यावरणीय अभियान रुद्रांश ग्रीन मिशन के माध्यम से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र कार्यक्रम में उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान रुद्रांश ने बताया कि उन्होंने अब तक 1455 पौधे लगाए हैं, जिनमें से 1427 पौधे वर्तमान में जीवित, संरक्षित एवं विकसित हो रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश पौधे पंचकूला, चंडीगढ़ एवं चंडीमंदिर कैंट की विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। रुद्रांश प्रत्येक रविवार कम से कम सात पौधे लगाने का संकल्प निभाते हैं और उनके संरक्षण एवं देखभाल पर भी विशेष ध्यान देते हैं। रुद्रांश ने अपने पौधारोपण अभियान का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्येक पौधे के स्थान, प्रजाति और वर्तमान स्थिति का विवरण उपलब्ध था। उनके कार्यों से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मंच पर आमंत्रित किया।

संपादकीय

प्रकृति से सामंजस्य बैठाने का समय

वर्षा ऋतु केवल मौसम का एक बदलाव ही नहीं,बल्कि इस धरती पर नवसृजन और संवर्धन का साक्षात आगमन है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में प्रकृति को कभी भी मनुष्य से अलग नहीं देखा गया,बल्कि उसे एक परिवार के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन आज पर्यावरण संकट,ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट जैसी चुनौतियां हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ मूलभूत सुधार करने होंगे। यदि समाज कुछ विशेष आग्रहों और संकल्पों को अपनी जीवनशैली और कार्यशैली का हिस्सा बना ले,तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

वर्तमान में एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले रहा है। इस अभियान के अंतर्गत समाज के प्रत्येक परिवार को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वे कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसके संरक्षण, पोषण और सुरक्षा का एक पवित्र संकल्प भी लें। जंगलों का जो कटान हुआ है और कंक्रीट के जैसे जंगल खड़े हुए हैं,उसके कारण भी तापमान में भारी वृद्धि हो रही है। वृक्षों के साथ ही जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है। जल के बिना इस सृष्टि की गति रुक जाएगी,इसीलिए हमारे समाज में यह गहरा भाव हमेशा से रहा है कि जल है तो कल है,लेकिन आधुनिक सुख-सुविधाओं और लापरवाही के कारण हमने अपने जल स्त्रोतों की घोर उपेक्षा की है। आज हमारे पारंपरिक तालाब सूख चुके हैं,कुएं कचरे से भर गए हैं और नदियों का जलस्तर घट रहा है। भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण पानी का संकट गहराता जा रहा है। इस गंभीर समस्या का समाधान केवल सरकारी नीतियों से नहीं हो सकता, इसके लिए व्यापक जनभागीदारी की अत्यंत आवश्यकता है। हमें आगे आकर अपने तालाबों,पोखरों,अमृत सरोवरों,प्राचीन कुओं और अन्य सभी पारंपरिक जल स्त्रोतों के संरक्षण और उनकी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा।

इसके साथ ही,वर्षा ऋतु में जो असीमित जल आसमान से गिरता है और बहकर व्यर्थ चला जाता है,उसे सहेजना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमें घरों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और विभिन्न व्यापारिक एवं सामाजिक संस्थानों में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणालियों को स्थापित करना होगा और इसे एक जन अभियान का रूप देना होगा। जब वर्षा का जल सहेजा और सीधे जमीन के भीतर जाएगा,तो भूगर्भ जल का स्तर फिर ऊपर आएगा और आने वाली पीढ़ियों को पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पिछले कुछ दशकों में रासायनिक खादों,यूरिया और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण हमारी उपजाऊ भूमि की सेहत बुरी तरह से खराब हुई है। मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति नष्ट हो रही है और दूषित अन्न खाकर हम तरह-तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हमें जैविक और प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा। जैविक खेती का सीधा अर्थ है प्रकृति के नियमों के अनुसार खेती करना। जब किसान इस पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएगा,तो इससे न केवल हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा,बल्कि अनाज भी शुद्ध और पौष्टिक होगा। यह बदलाव हमारे परिवार, हमारे समाज और पूरे देश को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करेगा तथा हमारी कृषि व्यवस्था को अधिक समृद्ध, टिकाऊ और नई मजबूती प्रदान करेगा।

वर्षा ऋतु का मौसम जहां खुशहाली और नवजीवन लेकर आता है, वहीं यह अपने साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियां भी लेकर आता है।

न्याय के मंदिर की गरिमा और नागरिक मर्यादा

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

भारतीय लोकतंत्र की संपूर्ण संरचना चार प्रमुख स्तंभों–विधायिका,कार्य पालिका,न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया–पर आधारित है। इनमें न्यायपालिका वह संस्था है,जिसके समक्ष प्रत्येक नागरिक अंतिम उम्मीद लेकर पहुँचता है। जब प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है,जब शासन से निराशा हाथ लगती है और जब अधिकारों का हनन होता है, तब नागरिक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। इसलिए न्यायालय केवल एक संवैधानिक संस्था नहीं,बल्कि नागरिकों के विश्वास का केंद्र भी है। ऐसे में यदि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान अमर्यादित व्यवहार,आक्रोश,धमकी, अभद्र भाषा या अव्यवस्था का वातावरण बनता है,तो उसका प्रभाव केवल एक अदालत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र की संपूर्ण विश्वसनीयता पर पड़ता है।

हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय में घटी एक घटना ने पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि न्यायालय की गरिमा और नागरिक आचरण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है,अपनी बात रखने का अधिकार है और न्यायिक निर्णयों की संवैधानिक सीमाओं के भीतर आलोचना करने का भी अधिकार है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अदालत की कार्यवाही बाधित की जाए,न्यायाधीशों के प्रति असम्मान प्रदर्शित किया जाए या न्यायालय को व्यक्तिगत आक्रोश व्यक्त करने का मंच बना दिया जाए। ऐसी घटनाएँ लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध हैं और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को प्रभावित करती हैं।

यह भी उतना ही सत्य है कि किसी नागरिक का ऐसा व्यवहार प्रायः एक दिन में उत्पन्न नहीं होता। कई बार वर्षों तक मुकदमेबाजी,आर्थिक बोझ,मानसिक तनाव,सामाजिक असुरक्षा और न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब व्यक्ति को गहरी निराशा की स्थिति में पहुँचा देते हैं। इससे उसके भीतर व्यवस्था के प्रति असंतोष और आक्रोश जन्म ले सकता है। किंतु किसी भी परिस्थिति में यह आक्रोश अदालत की गरिमा भंग करने का औचित्य नहीं बन सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों के साथ कर्तव्य और मर्यादा भी समान रूप से आवश्यक हैं।

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति के बिना स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु संविधान ने इस स्वतंत्रता को निरपेक्ष अधिकार नहीं माना है। सार्वजनिक व्यवस्था,राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि और न्यायालय की अवमानना जैसे विषयों पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति को दबाना नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और समाज में संतुलन बनाए रखना है। न्यायालयों के निर्णयों की कानूनी आलोचना की जा सकती है, उन पर विद्वत्तापूर्ण विमर्श हो सकता है,पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है,लेकिन व्यक्तिगत अपमान,अभद्र भाषा और न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो सकते।

न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति उसके पास उपलब्ध पुलिस बल या दंडात्मक अधिकार नहीं,बल्कि जनता का विश्वास है। यही विश्वास न्यायालय के प्रत्येक आदेश को प्रभावी बनाता है। यदि न्यायालय की गरिमा बार-बार चुनौती का विषय बनने लगे और उसके प्रति सम्मान कम होने लगे,तो कानून के शासन की मूल अवधारणा कमजोर पड़ने लगेगी। इसलिए न्यायपालिका की संस्थागत प्रतिष्ठा की रक्षा केवल न्यायाधीशों या अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व भी है।

दूसरी ओर यह भी स्वीकार करना होगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। देश की विभिन्न अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। अनेक मामलों में निर्णय आने में वर्षों नहीं,बल्कि दशकों का समय लग जाता है। न्याय पाने की प्रक्रिया आम नागरिक के लिए आर्थिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत कठिन हो जाती है। मुकदमों की लंबी अवधि,बार-बार की तारीखें,बढ़ता हुआ खर्च और अनिश्चित परिणाम व्यक्ति को निराशा के गर्त में धकेल देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस होती है।

न्यायिक सुधार केवल नए कानून बनाने तक सीमित नहीं होने चाहिए। न्यायालयों में रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति,आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, ई-कोर्ट प्रणाली का विस्तार, डिजिटल रिकॉर्ड,समयबद्ध सुनवाई और वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता है। यदि मुकदमों का शीघ्र निपटारा होगा,तो नागरिकों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और संतोष भी बढ़ेगा।

साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक मुकदमे के रूप में न देखा जाए। अनेक लोग वर्षों की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेकर अदालत तक पहुँचते हैं। इसलिए जहाँ आवश्यक हो,वहाँ परामर्श सेवाओं और मनोसामाजिक सहायता की व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए। इससे तनावग्रस्त पक्षकारों को भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिल सकती है और अनावश्यक टकराव की संभावना भी कम होगी।

अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था भी समय की मांग है। न्यायालयों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पक्षकार,अधिवक्ता और आम नागरिक आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था केवल औपचारिक न रहकर प्रभावी और प्रशिक्षित होनी चाहिए,ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल और गरिमापूर्ण ढंग से निपटा जा सके। न्यायालय का वातावरण भयमुक्त, अनुशासित और सम्मानजनक होना प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि समाज में न्यायिक साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। अधिकांश नागरिक अदालतों की प्रक्रिया, अधिकारों और दायित्वों से पूर्णतःपरिचित नहीं होते। यदि विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों तथा न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ेगी,तो न्यायालयों के प्रति सम्मान और समझ दोनों विकसित होंगे।

लोकतंत्र में आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायपालिका भी आलोचना से परे नहीं है। अनेक ऐतिहासिक निर्णयों पर समय-समय पर विद्वानों,अधिवक्ताओं और नागरिक समाज ने गंभीर विमर्श किया है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है। किंतु आलोचना तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित होनी चाहिए। व्यक्तिगत कटाक्ष,अभद्र व्यवहार और संस्थाओं का सार्वजनिक अपमान लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करते हैं।

यह भी स्मरण रखना होगा कि न्यायालय केवल न्यायाधीशों का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संस्थान है। इसकी गरिमा की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है जितना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। दोनों में कोई विरोध नहीं है। वास्तविक लोकतंत्र वही है जहाँ नागरिक निर्भीक होकर अपनी बात कह सके और साथ ही संस्थाओं के सम्मान की मर्यादा भी बनाए रखे।

आज जब सामाजिक संवाद का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यमों पर स्थानांतरित हो चुका है,तब न्यायिक संस्थाओं के संबंध में अपुष्ट सूचनाएँ,भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ और अपमानजनक टिप्पणियाँ तेजी से फैलती हैं। इससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित होने के साथ-साथ समाज में भ्रम भी उत्पन्न होता है। इसलिए नागरिकों, मीडिया और सामाजिक मंचों की भी जिम्मेदारी है कि न्यायिक विषयों पर तथ्यपरक,संतुलित और जिम्मेदार संवाद को बढ़ावा दें।

भारतीय न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर यह सिद्ध किया है कि वह केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं,बल्कि संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक भी है। न्यायिक संयम,निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण उसकी सबसे बड़ी विशेषताएँ हैं। उसी प्रकार नागरिकों से भी अपेक्षा है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें,धैर्य बनाए रखें और असहमति व्यक्त करते समय लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें।

न्याय की प्रतिष्ठा केवल न्यायालय के आदेशों से नहीं,बल्कि समाज के सामूहिक आचरण से भी निर्मित होती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समान महत्व देंगे,यदि न्यायपालिका समयबद्ध और सुलभ न्याय की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी तथा यदि शासन आवश्यक न्यायिक सुधारों को प्राथमिकता देगा, तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

न्यायालय वास्तव में न्याय का मंदिर तभी बना रह सकता है जब उसके भीतर कानून की आवाज़ सबसे ऊँची हो,क्रोध की नहीं,तर्क का सम्मान हो,शोर का नहीं;और संविधान सर्वोच्च रहे,किसी व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं। यही भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है,यही उसकी गरिमा है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भी।

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

राजस्थानी संस्कृति के अमर साधक के. सी. मालू का एक युग का अवसान,एक विरासत का अमरत्व

केसरी चंद (के.सी.) मालू

कुछ व्यक्तित्व केवल अपने जीवनकाल तक सीमित नहीं रहते,वे अपने समय की सांस्कृतिक चेतना बन जाते हैं। उनके जाने के बाद भी उनकी साधना समाज की स्मृतियों,संस्कारों और परंपराओं में जीवित रहती है। राजस्थानी लोकसंगीत,भाषा,साहित्य और संस्कृति के ऐसे ही युगपुरुष थे केसरी चंद (के.सी.) मालू। उनका निधन केवल एक व्यक्ति का निधन नहीं है,बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक यात्रा के एक स्वर्णिम अध्याय का विराम है। उन्होंने अपने जीवन को जिस निष्ठा, समर्पण और तपस्वी भाव से राजस्थानी अस्मिता के संरक्षण में समर्पित किया,वह उन्हें सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी से बहुत ऊपर स्थापित करता है। आज जब बाजारवाद और वैश्वीकरण की तेज आंधी में लोक संस्कृतियां अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं,तब के. सी. मालू जैसे व्यक्तित्वों का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो एक अकेला व्यक्ति भी पूरी सांस्कृतिक धरोहर को विलुप्त होने से बचा सकता है। उन्होंने राजस्थानी लोकधुनों एवं लोकगीतों को केवल संग्रहित नहीं किया, बल्कि उन्हें नई पीढ़ी की धड़कनों तक पहुंचाया। उन्होंने संस्कृति को संग्रहालय की वस्तु नहीं बनने दिया,बल्कि उसे जनजीवन की सांसों से जोड़ दिया। निश्चित ही वे लोकधुनों के सजग प्रहरी थे,संस्कृतिप्रेमी एवं कला-साधक थे।

संगीत उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं था,बल्कि संस्कृति का प्राण था। उन्होंने हजारों लोकगीतों की पांडुलिपियां तैयार करवाईं,ध्वनिलिपियां बनवाईं,उनकी रिकॉर्डिंग करवाई और उन्हें सुरक्षित रखा। बिना किसी सरकारी सहायता के पांच हजार से अधिक लोकगीतों का संरक्षण अपने आप में विश्वस्तरीय सांस्कृतिक साधना है। यह कार्य किसी संस्थान के लिए भी कठिन माना जाता है,लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। यही कारण है कि आज राजस्थान की अनेक लोकधुनें,विवाह गीत,मांड,पणिहारी, घूमर,चिरमी और असंख्य लोकगाथाएं सुरक्षित हैं। वीणा म्यूजिक की स्थापना केवल एक व्यावसायिक संस्था की स्थापना नहीं थी,बल्कि यह राजस्थान की आत्मा को स्वर देने का अभियान था। उस दौर में जब लोककलाकार गुमनामी के अंधेरे में खो रहे थे,उन्होंने उन्हें मंच दिया,सम्मान दिया और पहचान दी। अनेक कलाकार,जिनकी प्रतिभा गांवों तक सीमित थी, उनके प्रयासों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लोककला किसी क्षेत्र की सीमाओं में कैद नहीं होती,बल्कि वह पूरी मानवता की सांस्कृतिक धरोहर होती है। ऐसा प्रतीत होता है उनके जीवन की हर पात में संगीत की झंकार है। राजस्थानी संस्कृति,संगीत एवं लोकधुनों से जहां-जहां साक्षात्कार होगा,वहां-वहां के.सी. मालू के कदमों के निशान मिलेंगे। उनका मन एवं कर्म सृजनात्मक था।

के.सी. मालू की दृष्टि केवल संगीत तक सीमित नहीं थी। वे राजस्थानी भाषा के भी प्रखर प्रहरी थे। उनका मानना था कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह किसी समाज की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक स्मृति होती है। राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया,वह उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं अपनी माटी के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने देश और विदेश के अनेक मंचों पर राजस्थानी भाषा की गरिमा और उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र बने रहे। उनके भीतर कलाकार का संवेदनशील हृदय, साहित्यकार की दृष्टि और समाजसेवी की आत्मीयता एक साथ दिखाई देती थी। वे जानते थे कि संस्कृति केवल पुस्तकों या मंचों से जीवित नहीं रहती,बल्कि लोगों के जीवन में उतरने से जीवित रहती है। इसलिए उन्होंने लोकसंगीत को गांवों से निकालकर शहरों तक और भारत से निकालकर विश्वभर के राजस्थानी समाज तक पहुंचाया।

वर्ष 1987 में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए लता मंगेशकर नाइट का आयोजन कर एक करोड़ रुपये की सहायता राशि जुटाना उनके सामाजिक दायित्वबोध का अद्भुत उदाहरण है। यह बताता है कि उनके लिए संगीत केवल कला नहीं,बल्कि सेवा का माध्यम भी था। उन्होंने अपने संसाधनों और प्रतिष्ठा का उपयोग समाजहित के लिए किया। आज जब कला का बड़ा हिस्सा केवल व्यवसाय बनता जा रहा है, तब के.सी. मालू का जीवन यह संदेश देता है कि कला का सर्वोच्च उद्देश्य समाज को समृद्ध बनाना है। उनके द्वारा संकलित 221 राजस्थानी विवाह गीतों का विशाल संग्रह विश्व में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है। यह केवल गीतों का संग्रह नहीं,बल्कि राजस्थान की सामाजिक परंपराओं, पारिवारिक संस्कारों और सांस्कृतिक स्मृतियों का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने यह समझ लिया था कि यदि लोकगीत बचेंगे तो लोकजीवन भी बचेगा। इसलिए उन्होंने संगीत के माध्यम से संस्कृति की रक्षा का महान कार्य किया।

सब तमाशबीन है...

प्रोफेसरों
शाम लाल
कौशल
रोहतक,
हरियाणा

दुनिया में सब तमाशबीन है
जब कोई आदमी मर रहा होता है
उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता
सब उसके मरने का इंतजार करते हैं
और वह भी तमाशबीन बनकर।
दुनिया में सब तमाशबीन हैं
जब किसी को दुर्घटना में चोट लगती है
चोट का दर्द वह अकेला ही सहन करता है
उसके दर्द को कोई भी बांटने को नहीं आता
लोग आते हैं झूठी तसल्ली देकर चले जाते हैं
सब तमाशबीन हैं,कुछ तो मन ही मन खुश होते हैं
इस दुनिया में सभी लोग तमाशबीन हैं दोस्तो।
इस दुनिया में सब तमाशबीन हैं
देश में महंगाई ,बेरोजगारी गरीबी बढ़ती जा रही है
सरकार इन्हें ठीक करने का नाटक तो करती है
यह समस्याएं आश्वासन के बावजूद पहले जैसी है,
सभी तमाशबीन है दोस्तों इसका यकीन करना।
जब किसी गरीब का लड़का एमबीबीएस कर लेता है
उसके घर वालों की खुशी तो सातवें आसमान पर होती है
परंतु अमीर लोगों के सीने पर सांप लोट रहे होते हैं
वह चाहते हैं गरीब के बदले उनका बेटा ही डॉक्टर बनता
दुनिया में एक से बढ़कर एक हमने तमाशबीन देखा है।

वृक्ष बढ़ना बंद करने के बाद भी लंबे समय तक कार्बन अवशोषित करते रहते हैं...

डॉ. विजय गर्ग
मलोट,पंजाब

जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रही है,जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग,चरम मौसम की घटनाएँ,सूखा,बाढ़ और जैव विविधता का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे समय में वृक्ष प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक बनकर सामने आते हैं। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि पेड़ मुख्य रूप से अपने तेज़ी से बढ़ने के दौरान ही अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि वृक्ष अपनी वृद्धि लगभग रुक जाने के बाद भी वर्षों तक वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते रहते हैं। यह खोज जलवायु परिवर्तन से निपटने की हमारी रणनीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह स्पष्ट करती है कि पुराने और परिपक्व वृक्षों का संरक्षण उतना ही आवश्यक है जितना नए पेड़ लगाना।

प्रकृति के कार्बन बैंक हैं वृक्ष

वृक्ष प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) की प्रक्रिया द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे कार्बन को अपने तने, शाखाओं, जड़ों और पत्तियों में वर्षों तक सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि वृक्षों को प्राकृतिक कार्बन बैंक कहा जाता है। वे वातावरण से कार्बन हटाकर उसे लंबे समय तक अपने भीतर संचित रखते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा कम होती है।

पुराने वृक्ष भी करते हैं कार्बन का संग्रह

पहले यह धारणा थी कि जैसे-जैसे वृक्षों की ऊँचाई और मोटाई बढ़ना कम हो जाती है, वैसे-वैसे उनका कार्बन अवशोषण भी कम हो जाता है। लेकिन नवीन शोध बताते हैं कि परिपक्व वृक्ष अपने विकास की गति धीमी होने के बाद भी कार्बन को लगातार संग्रहित करते रहते हैं।

यद्यपि उनकी ऊँचाई में अधिक वृद्धि नहीं होती,फिर भी उनकी लकड़ी, जड़ों और अन्य ऊतकों में कार्बन का संचय जारी रहता है। कई सौ वर्ष पुराने वृक्ष अपने जीवनकाल में भारी मात्रा में कार्बन को सुरक्षित रखते हैं।

पुराने जंगलों का महत्व

परिपक्व वन केवल कार्बन संग्रह करने वाले क्षेत्र ही नहीं हैं, बल्कि वे पृथ्वी के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। ऐसे जंगल–

- **हजारों वन्य जीवों और पक्षियों का घर होते हैं।**
- **मिट्टी का कटाव रोकते हैं।**
- **भूजल संरक्षण में सहायता करते हैं।**
- **वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं।**
- **स्थानीय तापमान को नियंत्रित करते हैं।**
- **वायु को शुद्ध बनाते हैं।**

यदि ऐसे वृक्षों को काट दिया जाए,तो उनमें वर्षों से संचित कार्बन पुनः वातावरण में पहुँच सकता है,जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो सकती है।

केवल वृक्षारोपण ही पर्याप्त नहीं

पिछले कुछ वर्षों में वृक्षारोपण अभियानों पर विशेष जोर दिया गया है। यह अत्यंत आवश्यक है,लेकिन केवल नए पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है। एक छोटा पौधा उस स्तर तक पहुँचने में कई दशक लगा देता है, जहाँ वह एक परिपक्व वृक्ष जितना कार्बन संग्रह कर सके।

इसलिए जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए नए वृक्ष लगाने के साथ-साथ पुराने वृक्षों और प्राकृतिक वनों का संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है।

हम क्या कर सकते हैं?

प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है...

- **अधिक से अधिक देशी प्रजातियों के वृक्ष लगाएँ।**
- **अनावश्यक वृक्ष कटाई का विरोध करें।**
- **वन संरक्षण अभियानों में भाग लें।**
- **कागज और लकड़ी का सोच-समझकर उपयोग करें।**
- **बच्चों और युवाओं में वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाएँ।**

छोटे-छोटे प्रयास मिलकर पर्यावरण की रक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

यह वैज्ञानिक खोज कि वृक्ष अपनी वृद्धि धीमी या लगभग बंद होने के बाद भी लंबे समय तक कार्बन अवशोषित करते रहते हैं, हमें प्रकृति के प्रति अपनी सोच बदलने का अवसर देती है। परिपक्व वृक्ष केवल अतीत की धरोहर नहीं,बल्कि भविष्य की सुरक्षा के प्रहरी हैं। यदि हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का प्रभावी समाधान खोजना है, तो नए वृक्ष लगाने के साथ-साथ पुराने वृक्षों और प्राकृतिक वनों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। हर जीवित वृक्ष पृथ्वी के लिए एक अनमोल संपत्ति है, जो चुपचाप वातावरण से कार्बन हटाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित भविष्य का निर्माण कर रहा है।

बैल हूँ मैं ...कभी मेरा भी था जमाना...

रवींद्र कुमार
शर्मा
बिलासपुर,
हिमाचलप्रदेश

जब निकला खाने की तलाश में इधर उधर
तो मैं आवारा हो गया
लोगों को अब मैं अच्छा नहीं लगता
मेरी शक्ल देखना भी ना गवारा हो गया
जब तक ताकत थी मुझमें
मैंने पूरा जोर लगाया
खेतों में फसलें लहलहाई
उम्मीद से ज्यादा अन्न उगाया
कंधे मेरे दुःख गए हल खींचते
फिर भी मैंने जोर लगाया
सुहागे पर बजन भी रखा खूब दबाया फिर भी
चुपचाप चलता रहा न चीखा न चिल्लाया
कभी खूब खिलाते थे मुझे
रखते थे मेरा भरपूर ख्याल
छोड़ दिया घर से अब हो गया आवारा
देखते ही दौड़ते हैं मारने ऐसा हो गया अब हाल
समय का खेल है बदल गया ज़माना
कभी सेवा की थी अब मुझ पर है सबका निशाना
ऐसा लगता है जैसे जीवन नरक बन गया
वह भी दिन थे जब मुझको मिलता था सबसे पहले खाना

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

धार्मिक आस्था पर आघात!

शिव मंदिर की दीवार से सटी मांसाहारी दुकान पर विवाद

धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप

भाजपा नेता धनंजय मिश्रा ने नगर निगम से दुकान हटाने की मांग की

शिव मंदिर की दीवार से सटी मांसाहारी दुकान पर विवाद,धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप

सोशल मीडिया पर उठे कई सवाल,लोगों ने कहा...दुकान का उपयोग दूसरे व्यवसाय के लिए हो...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के स्टेडियम के समीप स्थित शिव मंदिर के पीछे नगर निगम द्वारा निर्मित व्यावसायिक परिसर में संचालित मांसाहारी दुकान को लेकर विवाद गहरा गया है। मंदिर की दीवार से सटकर मांसाहार का क्रय-विक्रय होने पर भाजपा नेता धनंजय मिश्रा ने इसे धार्मिक आस्था पर आघात बताते हुए नगर निगम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं,जहां लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली,दुकान के आवंटन और आसपास की अन्य गतिविधियों पर भी सवाल उठाए हैं। धनंजय मिश्रा ने कहा कि किसी भी पवित्र पूजा स्थल के ठीक पीछे मांसाहार की दुकान संचालित होना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उनका कहना है कि दुकानों के आवंटन के समय अधिकारियों को धार्मिक स्थलों की गरिमा और सामाजिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए था।

उन्होंने नगर निगम से इस व्यवस्था में तत्काल सुधार करते हुए संबंधित दुकान को वहां से हटाने की मांग की। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक शुक्ला ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले ने स्थानीय भाजपा नेताओं की निष्क्रियता को भी उजागर किया है। वहीं अधिवक्ता अरविंद सिंह ने सुझाव दिया कि दुकान को हटाने के बजाय उसमें किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय संचालित कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के महापौर और आयुक्त को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा मंदिर के समीप मांसाहारी गतिविधियां बंद कराने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। सोशल मीडिया पर रानू राज पाण्डेय ने सवाल उठाया कि संबंधित दुकान किसके नाम आवंटित है, उसे किराए पर किसने दिया और यदि प्रदेश तथा नगर निगम में सत्ता पक्ष की सरकार है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। उन्होंने पूरे आवंटन की जांच की मांग भी की। वहीं विनाल गुप्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर परिसर के आसपास केवल मांसाहारी दुकान ही नहीं,बल्कि सिगरेट की दुकान और अन्य गतिविधियां भी संचालित होती हैं, जिन पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि यदि धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखना उद्देश्य है तो पूरे क्षेत्र का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए।

नगर निगम से कार्रवाई की मांग...

मामले के तूल पकड़ने के बाद अब लोगों की नजर नगर निगम पर है। नागरिकों का कहना है कि यदि दुकान का आवंटन नियमों के अनुरूप भी हुआ है,तब भी धार्मिक स्थल की संवेदनशीलता को देखते हुए उसका वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। वहीं कई लोगों ने निगम से आवंटन प्रक्रिया सार्वजनिक करने और भविष्य में धार्मिक स्थलों के आसपास इस प्रकार की गतिविधियों से बचने के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। यह मामला अब केवल एक दुकान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक आस्था, प्रशासनिक संवेदनशीलता और नगर नियोजन जैसे मुद्दों पर भी बहस का विषय बन गया है। नगर निगम की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

भाजपा के 19 प्रकोष्ठों के नव नियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान,संगठन विस्तार और जनसंपर्क पर दिया जोर...

अनुराग सिंहदेव बोले...प्रकोष्ठ भाजपा की ताकत,भारत सिंह सिसोदिया ने डीएलपी प्रशिक्षण पूरा करने का किया आह्वान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी सरगुजा द्वारा मंगलवार को संकल्प भवन स्थित जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी के सभी 19 प्रकोष्ठों के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों तथा कार्यसमिति सदस्यों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नव नियुक्त पदाधिकारियों का गमछा ओढ़ाकर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत बनाने,जनसंपर्क बढ़ाने और डिजिटल प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव तथा अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने की। मुख्य अतिथि अनुराग सिंहदेव ने कहा कि भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों में अपने-अपने क्षेत्र के अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों का जुड़ना संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है।

उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला संगठन है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनहित एवं राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों के सकारात्मक परिणाम जनता तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में भ्रम और नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसका जवाब कार्यकर्ताओं को तथ्यों,सेवा और जनसंपर्क के माध्यम से देना चाहिए। उन्होंने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का परिचय कराते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी प्रकोष्ठ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पार्टी की विचारधारा तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम (डीएलपी) को संगठन की प्राथमिकता बताते हुए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा प्रकोष्ठ की भूमिका को राष्ट्र निर्माण और समाज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंबिकेश केशरी ने कहा कि सभी प्रकोष्ठ संगठन की वास्तविक शक्ति हैं और इनके माध्यम से भाजपा की विचारधारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अभिषेक शर्मा ने भी अपने विचार रखे, जबकि आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मयंक जायसवाल ने डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया तथा जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर संतोष दास,डी.के. पुरिया, मधु चौदाहा,नीरू मिश्तिरी,निश्चल प्रताप सिंह, विद्यानंद मिश्रा,जन्मेजय मिश्रा,वैभव सिंह देव, निलेश सिंह,अजय प्रताप सिंह,रूपेश दुबे,मनोज सोनी,कमलेश तिवारी,आनंद राज सोनी, कृष्णानंद तिवारी,देवेंद्र नाथ दुबे,उमेश अग्रवाल,संजीव सेठ, जनमेजय पांडेय,सुनील गुप्ता,राजकुमार गुप्ता, बृजकिशोर सोनी,कुंजबिहारी गुप्ता,अरविंद कनौजिया,विमल मंडिलवार,श्यामलाल गुप्ता,अपूर्व विश्वकर्मा,निष्ठा पांडेय,शरद अग्रवाल,वशिष्ठ महंत, कृष्ण कुमार शर्मा,पुष्पेंद्र शर्मा,जतिन परमार,अनिल त्रिपाठी,अजय केशरी,काशी केशरी,सुनीत मिश्रा, नीरज अग्रवाल,सूरज निषाद,अंकुर मिश्रा,प्रियंका चौबे,नीलम राजवाड़े,सरोज गुप्ता,कल्पना भदौरिया,सरस्वती यादव,रेणु भारती,नलिनी पांडेय,शालिनी सिंह,पूनम सिंह,आशा मिश्रा,रजनी,संगीता सोनी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कोटवारी/सेवाभूमि प्रकरण : वर्तमान खातेदारों को 17 जुलाई तक पक्ष रखने का अंतिम अवसर

नोटिस तामील नहीं होने पर जारी की गई सार्वजनिक सूचना,

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

कोटवारों द्वारा अतीत में विक्रय की गई कोटवारी/सेवाभूमि से जुड़े मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख शाखा) के निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई की जा रही है। तहसीलदार अंबिकापुर ने बताया कि ग्राम मनीपुर की कोटवारी मद की भूमि,जो मूल रूप से सोमा मुंडा के नाम दर्ज थी, वर्तमान में अलग-अलग खातेदारों के नाम कृषि भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इनमें प्रमीला राजवाड़े,विमला त्रिपाठी,आनंद कुमार तथा शशिकला के नाम शामिल हैं। प्रशासन द्वारा वर्तमान भूमिस्वामियों एवं खातेदारों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संबंधित व्यक्तियों का पता सही नहीं मिलने अथवा नोटिस तामील नहीं हो पाने के कारण वे वापस लौट आए। इसके चलते न्यायालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित खातेदारों को अंतिम अवसर दिया है। प्रशासन ने निर्देशित किया है कि संबंधित सभी वर्तमान खातेदार या उनके अधिवक्ता 17 जुलाई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गोठान और गौधाम व्यवस्था पर आप ने उठाए सवाल, आवारा पशुओं से किसान परेशान

लव कुमार बोले...योजना का प्रभाव धरातल पर नहीं दिख रहा,सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रदेश में गोठान व्यवस्था और गौधाम योजना की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आवारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। पार्टी के अनुसार इसका सबसे अधिक असर किसानों,आम नागरिकों और स्वयं बेसहारा पशुओं पर पड़ रहा है। आप के सरगुजा लोकसभा सचिव लव कुमार ने कहा

कि वर्ष 2020 में शुरू की गई गोधन न्याय (गोठान) योजना का उद्देश्य आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देना, किसानों की फसलों की रक्षा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। लेकिन वर्तमान में कई गोठान बंद पड़े हैं या सीमित रूप से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक स्थानों पर चारा, पेयजल, पशु चिकित्सा और कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 में लगभग 1,460 गौधाम स्थापित करने की घोषणा की थी,लेकिन अधिकांश स्थानों पर इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसके कारण आवारा पशु सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं,जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और किसानों की फसलें नुकसान झेल रही हैं। लव कुमार ने हाल ही में अंबिकापुर में सांड के हमले में घायल महिला की उपचार के दौरान हुई मृत्यु का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समस्या अब जनसुरक्षा से भी जुड़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जून 2026 में गौधामों के प्रभावी संचालन को लेकर राज्य सरकार को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि प्रदेश के सभी गोठानों और गौधामों का स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए,प्रत्येक केंद्र में चारा,पानी, पशु चिकित्सा और स्थायी गोपालक की व्यवस्था की जाए तथा आवारा पशुओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को त्वरित मुआवजा दिया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर प्रदेशभर में लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा।

भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति में स्वतंत्र मिश्रा को मिली जिम्मेदारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्वतंत्र मिश्रा को भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ की घोषित प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य तथा सरगुजा संभाग का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। नियुक्ति पर स्वतंत्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय,क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, यशवंत जैन,अखिलेश सोनी तथा भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिनेश सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वतंत्र मिश्रा ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है,जिसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे।

स्कूटी से गिरकर युवक की मौत अस्पताल लाते समय रास्ते में तोड़ा दम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र में स्कूटी से अनियंत्रित होकर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था,लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार एमसीबी जिले के हल्दीबाड़ी, चिरमिरी निवासी रामभरोस (पिता मेघाराम) 12 जुलाई को अपने बीमार चाचा से मिलने भैयाथान थाना क्षेत्र के ग्राम जाबर आया था। 13 जुलाई को वह स्कूटी से वापस चिरमिरी लौट रहा था। इसी दौरान गेल्हापानी स्थित रेलवे फाटक के पास उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर सडक़ पर गिर गई। हादसे में उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे चिरमिरी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै कुश कुमार राय (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री स्व0 राम नाथ राय गाँव/शहर वार्ड क्र. 06 अम्बेडकर स्कूल लाईन विश्रामपुर उप तहसील पिल्खा,जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम अंश कुमार (ANSH KUMAR) (पुराना नाम) से बदल कर यश कुमार (YASH KUMAR (नया नाम) रख लिया है।

पालक
कुश कुमार राय
विश्रामपुर उप तहसील
पिल्खा,जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन,जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र.1,अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

Main Portal: http://egeprocurement.gov.in
WRD Portal: http://wrd.cgeprocurement.gov.in

निविदा निरस्तीकरण सूचना

आदेश क्रमांक -1984/ व.ले.लि./2026-27
अम्बिकापुर,दिनांक - 09.07.2026

इस कार्यालय के निविदा सूचना क्रमांक 01/व.ले.लि. / 2026-27 दिनांक 02.06.2026 सिस्टम नं. 192065 (प्रथम आमंत्रण) कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0-1 अम्बिकापुर कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य अनुमोदित लागत राशि रू. 378.35 लाख के निविदा का प्रकाशन किया गया था, जिसका 'जी' नम्बर 262701221 दिनांक 05.06.2026 है। को कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर के पत्र क्र. 4264208 / निविदा प्रकोष्ठ / 2026 / 5136(टी.सी.) दिनांक 08.07.2026 के तहत् निविदा के संबंध में दिनांक 07.07.2026 को केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाईन खोला गया उक्त निविदा के प्रथम आमंत्रण में प्रतिभागी निविदाकार की संख्या निरंक है।

अतः निविदा निरस्त की जाती है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 1, अम्बिकापुर
(छ.ग.) कृते - मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी0नं0 -262702073/6

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण मो0 आदिल आ0 डॉ0 शमशुदोहा उम्र 30 वर्ष, नैला सधीर पति डॉ0मो0 शागिल, उम्र- 38 वर्ष जाति ईराकी निवासी ईमलीपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदकगण पल्लव वर्मा आ0 सुरेन्द्र कुमार वर्मा, उम्र- 49 वर्ष वगैरह के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पुर, मोहल्ला ईमलीपारा स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 377/4839/3 रकबा 0.10$^{1/2}$ एकड़ भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो, तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/07 07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक-10/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राहुल कुमार गुप्ता आ. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, निवासी-संगम चौक, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.) उनके द्वारा ग्राम - कर्रा, तहसील - लुण्ड्रा / धौरपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा नं. - 901/1, 901/3, 901/4 कुल रकबा 1.206 हे0 में से 1.00 हे0 क्षेत्र पर गौण खनिज निम्न श्रेणी चूनापत्थर उत्खननपट्टा का पर्यावरण स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण स्वीकृति पहचान संख्या EC25C0108CG5211583N दिनांक 20/02/2026 को उत्खनन क्षमता 10,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका अवलोकन भारत सरकार पर्यावरण वन,जलवायु मंत्रालय की वेवसाईट https:// parivesh.nic.in पर किया जा सकता है ।

कृते
राहुल कुमार गुप्ता

CMYK

क्या अपने समाज के आरोपियों पर मौन हैं सामाजिक संगठन? दो गंभीर मामलों ने छेड़ी नई बहस....

एससी/एसटी एक्ट के दो गंभीर मामलों में गिरफ्तारी नहीं...आखिर किसका संरक्षण?

- गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज,आरोपी अब भी आज़ाद,न्याय की लड़ाई में मौन क्यों?
- जब आरोपी अपने समाज के हों तो चुप क्यों? दो गंभीर मामलों ने खड़े किए असहज सवाल
- गिरफ्तारी का इंतजार,न्याय अधूरा,दो गंभीर मामलों में पुलिस और समाज दोनों कटघरे में...
- दो एफआईआर,गंभीर धाराएं और फरार आरोपी,आखिर कार्रवाई कब?

- कानून सबके लिए बराबर या नहीं? दो गंभीर मामलों में गिरफ्तारी न होने से उठा सवाल
- गंभीर अपराधों में फरार आरोपी, सामाजिक संगठन मौन,क्या न्याय के भी अलग-अलग पैमाने?
- अपराध गंभीर,आरोपी फरार... आखिर चुप्पी किस बात की?

रवि सिंह

बैकुंठपुर/कोरिया,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, थाना कोतवाली बैकुंठपुर में दर्ज दो गंभीर आपराधिक मामलों में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, इसी बीच जिले में अन्य चर्चित घटनाएं सुर्खियों में रहीं, जिसके चलते यह प्रश्न भी उठने लगा है कि क्या इन गंभीर मामलों पर अपेक्षित सार्वजनिक और प्रशासनिक ध्यान नहीं गया, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी मामले में बलात्कार,गंभीर हिंसा या एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम जैसी धाराओं के तहत अपराध दर्ज है तो कानून के अनुसार त्वरित और प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित होती है, लेकिन इन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होना लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा कर रहा है।

दो मामलों में गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज- पहला मामला थाना कोतवाली बैकुंठपुर का अपराध क्रमांक 209/26 है, इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2),64, 91,64(2)(h), 64(2)(m),70(1) तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है, दूसरा मामला अपराध क्रमांक 214/26 है, जिसमें क्रम्हस् की धारा 296,107,308(2), 309(4) तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है,दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज तो किया,लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है।

गंभीर धाराएं बताती हैं अपराध की प्रकृति- कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जिन मामलों में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं,वे सामान्य प्रकृति के अपराध नहीं माने जाते,ऐसे मामलों में पुलिस की जांच और कार्रवाई दोनों पर विशेष संवेदनशीलता अपेक्षित होती है, इसी कारण यह सवाल उठ रहा है कि जब अपराध की प्रकृति गंभीर है तो फिर कार्रवाई अपेक्षित गति से क्यों नहीं बढ़ रही है।

क्या आरोपी प्रभावशाली होने से कार्रवाई प्रभावित?- स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि एक आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है,हालांकि इसकी किसी सरकारी दस्तावेज या सक्षम अधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है,कुछ लोगों का यह भी दावा है कि आरोपी पुलिस के संपर्क में आया था और थाने तक भी पहुंचा था,इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है, वहीं यदि ऐसा नहीं है तो पुलिस को भी पूरे मामले पर स्पष्ट स्थिति सामने रखनी चाहिए ताकि भ्रम समाप्त हो सके।

क्या न्याय के लिए अलग-अलग पैमाने?- जनचर्चा में सबसे बड़ा प्रश्न यही उभर रहा है कि क्या न्याय की मांग के लिए अलग-अलग पैमाने तय हो गए हैं? यदि आरोपी किसी दूसरे समाज से हो तो सामाजिक संगठन खुलकर सामने आते हैं, लेकिन यदि आरोपी उसी समाज से संबंधित हो तो क्या संगठन मौन रह जाते हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि न्याय का आधार पीड़ित और अपराध होना चाहिए,न कि आरोपी की सामाजिक पहचान।

समाज के भीतर भी नाराजगी की चर्चा- स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि संबंधित समाज के अनेक लोग स्वयं आरोपियों के पक्ष में नहीं हैं,लोगों का कहना है कि यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए,बताया जा रहा है कि समाज के भीतर भी आरोपियों को लेकर असंतोष है,लेकिन कोई संगठित नेतृत्व अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। इस कारण आम लोगों की आवाज भी बिखरी हुई नजर आ रही है।

क्या दूसरी चर्चित घटनाओं के बीच दब गया यह मामला?

जिले में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने व्यापक जनचर्चा और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया,ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इन दो गंभीर मामलों पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी,यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी घटना को जानबूझकर दबाया गया,लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि इन मामलों में जितनी गंभीरता से सार्वजनिक विमर्श होना चाहिए था,वह अब तक दिखाई नहीं दिया।

सामाजिक संगठनों की चुप्पी पर भी सवाल...

इन मामलों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक संगठनों की भूमिका को लेकर सामने आ रहा है, आमतौर पर जब किसी समाज विशेष के व्यक्ति के साथ अत्याचार या गंभीर अपराध होता है तो अनेक सामाजिक संगठन सड़क पर उतरते हैं,ज्ञापन देते हैं,धरना-प्रदर्शन करते हैं और गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन इन दोनों मामलों में अब तक किसी बड़े आंदोलन या संगठित विरोध की तस्वीर सामने नहीं आई है,यही कारण है कि अब लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या सामाजिक संगठनों का दृष्टिकोण सभी मामलों में समान है, या फिर उनकी सक्रियता परिस्थितियों और सामाजिक समीकरणों के अनुसार बदल जाती है।

पुलिस की निष्पक्षता पर जनता की नजर- इन दोनों मामलों में अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है,लोगों का मानना है कि यदि पुलिस निष्पक्ष जांच कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है तो कानून के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होगा,लेकिन यदि गंभीर अपराधों में भी कार्रवाई लंबी खिंचती है तो इससे कई तरह की आशंकाएं जन्म लेती हैं और कानून के समान अनुपालन पर प्रश्न उठते हैं।

प्रशासन से स्पष्ट जवाब की अपेक्षा- जनता अब यह जानना चाहती है दोनों मामलों में अब तक कितनी जांच हुई? आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? क्या गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है? क्या आरोपी फरार घोषित किए गए हैं? यदि आरोपी उपलब्ध नहीं हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया किस स्तर पर है? इन प्रश्नों के उत्तर पुलिस और प्रशासन की ओर से सार्वजनिक रूप से सामने आने चाहिए ताकि भ्रम और अफवाहों पर विराम लग सके।

समान न्याय ही लोकतंत्र की कसौटी- कानून की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समानता है, यदि अपराध समान है तो कार्रवाई भी समान दिखनी चाहिए,चाहे आरोपी किसी भी समाज,वर्ग, राजनीतिक दल या प्रभावशाली परिवार से जुड़ा हो, कानून का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए,इसी प्रकार सामाजिक संगठनों की विश्वसनीयता भी तभी बनी रहेगी जब वे हर पीड़ित के लिए समान संवेदनशीलता दिखाएं और न्याय की मांग किसी पहचान के आधार पर नहीं,बल्कि अपराध की गंभीरता के आधार पर करें,अब पूरे जिले की निगाह इस बात पर है कि पुलिस इन दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित करती है और क्या सामाजिक संगठन भी इस विषय पर अपनी स्पष्ट भूमिका सामने रखते हैं।

शहर के विकास से जुड़े 14 प्रस्तावों पर एमआईसी की मुहर...तीन नए ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे

पेंशन योजनाओं के लंबित आवेदन होंगे स्वीकृत,छह सड़कों के उन्नयन,आवारा मवेशियों के पुनर्वास और सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर लिए गए अहम फैसले

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम अंबिकापुर की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक मंगलवार को महापौर मंजूषा भगत की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में शहर के समग्र विकास, यातायात व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कुल 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। बैठक की शुरुआत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा से हुई। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लंबित आवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन,मुख्यमंत्री विधवा पेंशन तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों के आवेदनों के अनुमोदन पर भी सहमति बनी। निगम प्रशासन का मानना है कि इन निर्णयों से जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बैठक में शहर की बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए तीन नए चौक-चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे व्यस्त मार्गों पर यातायात सुचारू होगा, दुर्घटनाओं में कमी

आएगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत छह सडक़ों के उन्नयन कार्यों के लिए प्राप्त ई-निविदाओं पर भी विचार कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे सडक़ निर्माण एवं सुधार कार्यों में तेजी आएगी। नगर निगम की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम स्वामित्व वाली दुकानों के नामांतरण, गांधी स्टेडियम के समीप पूर्व संचालित अग्निशमन केंद्र की दुकानों के नामांतरण शुल्क निर्धारण तथा मालवीय मार्केट और मणिपुर स्कूल के पास स्थित दुकानों के ऊपर प्रथम तल निर्माण की अनुमति संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों से निगम की राजस्व व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी। बैठक में निगम क्षेत्र में वॉल राइटिंग के माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए शुल्क निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा अधोसंरचना मद के स्वीकृत कार्यों में आवश्यक परिवर्तन, अहाता निर्माण की अनुमति तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं संचालन से जुड़े प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इन प्रस्तावों का उद्देश्य शहर में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना और सार्वजनिक स्थानों को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

अवारा मवेशियों के लिए पुनर्वास: शहर में आवारा मवेशियों की समस् या को देखते हुए उनके पुनर्वास के संबंध में भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर प्रभावी व्यवस्था विकसित करने और दुर्घटनाओं की संभावना कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। निगम का मानना है कि मवेशियों के पुनर्वास की व्यवस्था होने से यातायात प्रभावित होने की समस्या भी कम होगी। बैठक में सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत कबीर वार्ड क्रमांक 44 स्थित सामुदायिक भवन का नाम 'बिरसा मुंडा सामुदायिक भवन' तथा रामानुज वार्ड क्रमांक 33 स्थित सामुदायिक भवन का नाम 'महारानी अहिल्याबाई होल्कर सामुदायिक भवन' रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। निगम का कहना है कि इन नामकरणों के माध्यम से महान विभूतियों के योगदान को सम्मान दिया जाएगा।

दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय

बैठक के बाद महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि मेयर-इन-काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय शहर के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने,यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने,आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निगम लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वीकृत सभी प्रस्तावों पर जल्द अमल सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शहरवासियों को इन निर्णयों का लाभ शीघ्र मिल सके।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप ग्रामीणों ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

- मैनपाट के नर्मदापुर में बाहरी लोगों पर माहौल बिगाड़ने,पेड़ काटने और मंदिर परिसर में अवैध कब्जे का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत नर्मदापुर के ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और गांव का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बाहरी लोगों द्वारा मंदिर परिसर के आसपास अवैध कब्जा करने, पेड़ों की कटाई करने तथा विरोध करने पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम नर्मदापुर के लालमुढ़ा स्थित शासकीय भूमि पर वर्षों पहले मंदिर परिसर का विकास किया गया था। यहां जनसहयोग से सैकड़ों पौधे लगाए गए थे तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समतलीकरण, वृक्षारोपण और अन्य विकास कार्य कराए गए थे। आवेदन के अनुसार पिछले करीब दो माह से बाहरी राज्यों से आए कुछ लोगों ने मंदिर परिसर के आसपास झोपड़ी और शेड बनाकर रहना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये लोग मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और विरोध करने पर गाली-गलौज तथा मारपीट पर उतारू

हो जाते हैं। इससे गांव में भय और तनाव का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि परिसर में लगे सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। रोकने पर विवाद किया जाता है। आवेदन में कहा गया है कि बाहरी लोगों की गतिविधियों के कारण महिलाएं और बच्चे भी मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए जाने से डर रहे हैं। ज्ञापन में कुछ स्थानीय लोगों पर भी बाहरी व्यक्तियों का सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर उसे निजी संपत्ति बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे गांव की शांति और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए, बाहरी लोगों की गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा मंदिर परिसर और वहां लगाए गए पौधों एवं सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका विभा देवी गुप्ता आ0/पति कृष्ण कुमार गुप्ता जाति भवन, संगम चौक देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के निवासी मकान नं0 212 सम्पत द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-सत्तीपारा, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 831/22 रकबा 462 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/ आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 20.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है । नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 06.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका विभा देवी गुप्ता आ0/ पति कृष्ण कुमार गुप्ता जाति, निवासी मकान नं0 212 सम्पत भवन, संगम चौक देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-सत्तीपारा, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 832/3 रकबा 0.10 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3. 2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 20.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 06.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.
रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका रानी अग्रवाल पत्नी मनीष अग्रवाल, निवासी महामाया रोड़, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर-08 मोहल्ला खरसिया रोड़ अम्बिकापर, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2824/16 रकबा 83.3 वर्गमीटर भूमि पर प्रस्तावित नक्शानुसार अनुसार भूतल पर रकबा 60.80 वर्गमीटर, प्रथम तल पर रकबा 55.30 वर्गमीटर, द्वितीय तल पर 55.30 वर्गमीटर, तृतीय तल पर रकबा 55.30 वर्गमीटर पर आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टेनेन्स खसरा एवं प्रस्तावित नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 में प्रस्तुत किया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है ।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 27/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 08/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार लुण्ड्रा जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़
रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका लक्ष्मनियां दास पति रूपन दास पुत्री कोदू दास उम्र लगभग 49 वर्ष व अन्य 1 निवासी ग्राम जामडीह तहसील लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम जामडीह स्थित भूमि खसरा नम्बर 102/1 व अन्य कुल ख0नं0 10 योग रकबा 0.955 हे0 भूमि जो वर्तमान में अनावेदक वसीयतकर्ता मुलकी बेवा कोटू के नाम से दर्ज है, मुलकी का मृत्यु होने के पश्चात पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त कार्यवाही से किसी को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप स्वंम या अपने अभिभाषक के माध्यम दिनांक 20/07/2026 तक मेरे न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकता हैं। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं तदानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 08/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से अंकित जारी किया गया।

नायब तहसीलदार लुण्ड्रा जिला-सरगुजा,छ0ग0

सील

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3 ,जिला-सरगुजा,छ0ग0
रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण कांतिदास पति घूरन दास व अन्य 01 निवासी मणीपुर भाथुपारा तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ. ग.) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0न0 213/10 रकबा 0.0190 हे0 ग्राम पचफेड़ी तहसील अम्बिकापुर में स्थित है, उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश आवेदकगण का नाम छुट गया है। अतः राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार कर आवेदकगण का नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20/07/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-03

क्या छत्तीसगढ़ बन रहा है अंतरराज्यीय अपराधियों की शरणस्थली?

अंबिकापुर की घटनाओं के बाद उठे कई गंभीर सवाल

दूसरे राज्यों के वांछित आरोपियों की मौजूदगी के दावे | 18 कैमरों के रिकॉर्ड डिलीट करने के आरोप | पुलिस कार्रवाई में देरी से उठे कई सवाल | सत्यापन व्यवस्था और अंतरराज्यीय समन्वय पर बहस तेज | निष्पक्ष जांच की मांग, कानून के शासन पर टिकी निगाहें

क्या छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर बन रहा है दूसरे राज्यों के वांछित अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना?

वासेपुर कनेक्शन की परतें खोलने की मांग...साबिर,जावेद के बाद अब साकिब अफजल उर्फ 'नेता' का नाम भी चर्चा में...

क्या छत्तीसगढ़ बन रहा है अंतरराज्यीय अपराधियों की शरणस्थली? अंबिकापुर की घटनाओं ने खड़े किए बड़े सवाल...
कारोबारी गठजोड़ और संरक्षण के आरोपों की निष्पक्ष जांच की उठी मांग...
अंबिकापुर कनेक्शन की पड़ताल... दूसरे राज्यों के वांछित आरोपियों की मौजूदगी के दावों पर उठी निष्पक्ष जांच की मांग...
अंबिकापुर में अपराध नेटवर्क की आशंका या अफवाह? अब निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा सच...
अंतरराज्यीय अपराध और अंबिकापुर: क्या कानून से बचने वालों का नया ठिकाना बन रहा है शहर?
क्या अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहा है अंबिकापुर? जांच की मांग के बीच उठे कई अहम सवाल
रोजगार की तलाश में आने वाले मेहनतकश प्रवासियों और कानून से बचने के लिए छिपने वाले आरोपितों के बीच फर्क करना प्रशासन की जिम्मेदारी

-संवाददाता-

अंबिकापुर,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

झारखंड के बहुचर्चित वासेपुर से जुड़े फरार आरोपियों के कथित तौर पर अंबिकापुर में शरण लेने और स्थानीय कारोबार से जुड़े होने के दावों के बीच अब एक और नाम चर्चा में है, शिकायतकर्ताओं और कुछ स्थानीय सूत्रों का दावा है कि साबिर आलम और जावेद आलम के अलावा साकिब अफजल उर्फ 'नेता' भी वर्षों से अंबिकापुर में रहकर एक स्थानीय कारोबारी के साथ विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है,हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही पुलिस अथवा किसी जांच एजेंसी ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है,सूत्रों के अनुसार,साकिब अफजल उर्फ नेता झारखंड के कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित रहा है और झारखंड में उसके विरुद्ध कार्रवाई होने के बाद वह वर्षों पहले अंबिकापुर आ गया,आरोप है कि उसने अपनी पहचान बदलकर स्थानीय स्तर पर कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे परिवहन तथा अन्य व्यवसायों में सक्रिय हो गया।

समीम ट्रांसपोर्ट से लेकर न्यू समीम ट्रांसपोर्ट तक की कहानी...

समीम ट्रांसपोर्ट का मालिक अंगूठा छाप बैतूल पहले कुछ गाड़ियां चलाकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता था,इसी बीच वासेपुर का साबिर और जावेद आलम के अलावा एक और चर्चित गैंगस्टर नेता जिस पर सात आठ मर्डर का आरोपी है,झारखंड पुलिस का लगातार उसे पर दबाव बढ़ता देख वह भी करीब 15 वर्ष पूर्व बैतूल के शरण में आ गया,और आज भी बैतूल के साथ सभी गाड़ियों में पार्टनरशिप में यात्री बस संचालन का काम करता रहा,बताया जाता है कि जिस दिन से गैंगस्टरो ने बैतूल का हाथ थामा तब से बैतूल के नाम पर एसईसीएल में एम्बुलेंस,इनोवाकार व बस अटैच कर करोड़ों रुपए फर्जी ढंग से कमाई की, सूत्र ये भी बताते है की बंदूक और कट्टा के दम पर जो बसे एसईसीएल में लगी रहती थी,उन्हें यह लोग सवारी ढोने में भी चलाते थे जिसकी जांच की जाए तो बड़ा खुलासा होगा, खबर यह भी है कि जब कोई जांच आती थी तो रूट की गाड़ियां कंपनी में चली जाती थी इस तरह से कंपनी के अधिकारीयों और नेता, उसके पार्टनर बैतूल मिलकर कोयला कंपनी में करोड़ों रुपए का डाका डाला है, जिसकी पूरी खबर अगले अंक में विस्तार से प्रकाशित की जाएगी...।

सीसीटीवी फुटेज मिटाने के आरोप, साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका...

घटनाक्रम से जुड़े कुछ सूत्रों और शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिस मोहल्ले में कथित रूप से झारखंड पुलिस की कार्रवाई के दौरान साबिर आलम को छुड़ाए जाने की घटना हुई थी जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी पर पुलिस उस तक पहुचती उसे पहले ही डिलीट करा दिया गया,18 सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड डिलीट होने का दावा,घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिस मोहल्ले में यह घटना हुई,वहां लगे करीब 18 सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड बाद में कथित रूप से डिलीट दिया गया,मुख्य आरोपी की भूमिका और धमकाने के आरोप,सूत्रों के अनुसार,इस पूरे मामले को दबाने या पटाक्षेप करने में'बैतूल का भांजा'इरशाद नामक व्यक्ति ने मुख्य भूमिका निभाई,आरोप है कि उसने लोगों को प्रेम से समझाया और कुछ लोगों को अपने गैंगस्टर परिवार का हवाला देकर धमकाया,जिसके दबाव में अपराधियों के सजायाफ्ता करीबियों ने कैमरों का रिकॉर्ड मिटा दिया,कानून के मुताबिक,किसी अपराधी को बचाना या अपराध के साक्ष्य मिटाना भी एक गंभीर अपराध है,यदि यह दावा सच साबित होता है,तो साबिर आलम को छुड़ाने वाले अपराधियों के साथ-साथ फुटेज डिलीट करने और करवाने वाले दोनों ही पक्ष कानूनन अपराधी माने जाएंगे,शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह केवल साक्ष्य से छेड़छाड़ का मामला नहीं है,बल्कि पुलिस जांच को भटकाने और प्रभावित करने की एक गंभीर व संगठित कोशिश है,आरोप है कि घटना के शुरुआती दिनों में पुलिस की कार्रवाई में तेजी नहीं थी, जिसकी वजह से संबंधित लोगों को साक्ष्यों को नष्ट करने और उनसे छेड़छाड़ करने का पर्याप्त अवसर मिल गया,फिलहाल सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने के इन दावों की पुलिस या किसी जांच एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही फुटेज बरामद हुए हैं। अब पूरी निगाहें सरगुजा पुलिस की जांच पर टिकी हैं कि क्या वे इस साक्ष्य छेड़छाड़ की सत्यता का पता लगाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई कर पाती है या नहीं।

15 साल से झारखंड से भागा साकिब अफजल की भूमिका को लेकर भी उठे सवाल-बैतूल और उसके सहयोगियों के फरार होने के बाद पूरे धंधे की कमान साकिब अफजल उर्फ नेता ही संभाल रहा है,झारखंड में इसके घर पर कुर्की होने के बाद यह अपना नाम बदलकर यहां बैतूल के साथ कंधे में कंधा मिलाकर पूरी दमदारी से पैसा कमा रहा है...वह भी पिछले 15 साल से झारखंड से भागा है अंबिकापुर शहर में दो से तीन होटल संचालित करता है अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, लाल माटी के में जंगल किनारे आलीशान घर बनाकर निवास करता है,अभी भी इसकी खोज में झारखंड पुलिस दस्तक देती रहती है,जब पुलिस आती है तो भाग जाता है, इसका भी बैतूल के नाम पर कोयला कंपनी में गाड़ियों का कारोबार संचालित है शुरुआती दिनों में बैतूल से अपना बॉडीगार्ड बन कर रखा था,फिर धीरे-धीरे इस धंधे में उतार लिया बताया जाता है कि लंबे समय तक इसके पास झारखंड से वसूली का पैसा आता रहा है।

टेंडर हथियाने के लिए भय का माहौल बनाना,आदर्श कंपनी को निशाना बनाना: सूत्रों का दावा है कि परिवहन और एंबुलेंस संचालन से जुड़े टेंडरों के दौरान स्थानीय कारोबारियों और प्रतिस्पर्धी कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया से दूर रखने के लिए जानबूझकर डर का माहौल बनाया गया,क्षेत्र की एक सम्मानित व्यावसायिक संस्था 'आदर्श कंपनी',जो एसईसीएल में लंबे समय से इनोवा, बस और एंबुलेंस जैसी गाड़ियों का टेंडर लेती आ रही थी,उसके काम को हथियाने की साजिश रची गई,आरोप है कि बैतूल की शह पर उसके साथियों (साबिर और नेता) ने इस काम को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया,आरोप है कि आरोपियों ने झारखंड के आपराधिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बंदूक के दम पर कोयला प्रबंधन के अधिकारियों को अपने नियंत्रण में ले लिया,इसके बाद टेंडर बॉक्स से आदर्श कंपनी के सभी टेंडर लिफाफों को जबरन निकाल कर फाड़ दिया गया, दावा है कि आदर्श कंपनी के मैनेजर के सामने हवाई फायरिंग की गई और टेंडर के दस्तावेजों को वहीं जला दिया गया, आरोपी 'नेता' ने मैनेजर को सीधे तौर पर धमकी दी कि अगली बार गोली उसके सीने में लग सकती है, और उसे दोबारा इस क्षेत्र में टेंडर न डालने की सख्त चेतावनी दी गई, विश्रामपुर और बैकुंठपुर में एंबुलेंस संचालन से आदर्श कंपनी को जबरन बाहर करने के लिए आरोपियों ने बार-बार 'वासेपुर' के आपराधिक घटनाक्रमों का जिक्र किया,उन्होंने अपनी दहशत कायम करने के लिए मैनेजर से कहा कि अगर उनके बारे में ज्यादा जानना है,तो धनबाद जाकर उनके नाम का पता कर लें,सूत्रों के अनुसार, ये सभी आरोपी झारखंड में एक साथ अपराध करते थे, अतीत में जब बैतूल और उसके भाई ने स्थानीय मालिकों पर बम से हमला (बम कांड) किया था,तब नेता, साबिर और जावेद उसके शूटर के रूप में आए थे। आरोपी नेता पर आए दिन अवैध बंदूक दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने का भी आरोप है, वर्तमान में आरोपियों के सोना और बड़ी मात्रा में नकदी लेकर फरार होने की खबर है,सूत्रों का यह भी दावा है कि यदि पुलिस आरोपियों के ठिकानों और घरों की बारीकी से तलाशी ले, तो वहां झारखंड से लाए गए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हो सकते हैं।

व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और विवादों के बाद सामने आने लगी सूचनाएं-स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ जानकारियां वर्षों तक सार्वजनिक चर्चा में नहीं थीं और हाल के व्यापारिक विवादों तथा अन्य घटनाओं के बाद सामने आने लगी हैं। यदि ऐसा है, तो यह भी जांच का विषय है कि क्या संबंधित सूचनाएं पहले कभी प्रशासन या पुलिस तक पहुंची थीं और उन पर क्या कार्रवाई हुई।

अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय की जरूरत-कानून-व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि आज के समय में राज्यों के बीच अपराधियों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध दूसरे राज्य में गंभीर मामला लंबित है,तो समय पर जानकारी का आदान-प्रदान और सत्यापन कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए आवश्यक है।

सार्वजनिक वर्चा में आए आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक...

हाल के दिनों में कुछ शिकायतकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने यह भी मांग उठाई है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो पुलिस और अन्य सक्षम एजेंसियां उन सभी दावों की निष्पक्ष जांच करें,यदि आरोप निराधार हों, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए,और यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ हो,तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए।

फरार आरोपियों को संरक्षण मिलने के आरोप...

शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने झारखंड से आए फरार आरोपियों को स्थानीय स्तर पर संरक्षण दिया,उनका कहना है कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

पुलिस जांच से उठेंगी कई परतें...

कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी फरार आरोपी को जानबूझकर शरण दी गई हो,साक्ष्य नष्ट करने में सहायता की गई हो या अपराधियों को संरक्षण दिया गया हो,तो ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है,लेकिन यह सब केवल सक्षम जांच एजेंसी की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।

सभी पक्षों का पक्ष आना जरूरी...

समाचार में जिन व्यक्तियों और कारोबारों का उल्लेख आरोपों के संदर्भ में किया गया है,उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है, उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

उठ रहे अहम सवाल...

- **क्या झारखंड से जुड़े वांछित आरोपी लंबे समय तक अंबिकापुर में सक्रिय रहे?**
- **क्या किसी स्थानीय नेटवर्क ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया?**
- **एसईसीएल से जुड़े परिवहन कार्यों और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों में कितनी सच्चाई है?**
- **क्या कथित सीसीटीवी रिकॉर्ड हटाने के दावों की जांच होगी?**
- **क्या पुलिस या अन्य सक्षम एजेंसी इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगी?**

संरक्षण के आरोप,निष्पक्ष जांच की उठी मांग...

सरगुजा पुलिस को इसमामले में बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए,ताकि सरगुजा का सौम्या और शांत वातावरण बर्बाद ना हो सके,बैतूल अपने अलावा लगभग दो दर्जन लोगों को यहां शरण दे रखा है,जो कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश के कई मामलों में अपराधी हैं समय-समय पर वह यहां से पेशी के लिए जाते रहते हैं, जैसा बैतूल वैसे और भी अपराधी यहां बसने के फिराक में है क्यों ने झारखंड और बिहार का काला धन लाकर क्षेत्र में कई स्थानों पर जमीन भी खरीद लिया है और धीरे-धीरे निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं सूत्रों के अनुसार स्थानीय पार्षद की स्थिति संदिग्ध है पार्षद सजातीय होने के कारण इन बाहरी सामाजिक तत्वों को शरण देने का काम कर रहा है,कुछ शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने प्रभाव और परिचय का हवाला देकर लोगों पर दबाव बनाया, हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है,स्थानीय स्तर पर यह मांग भी उठ रही है कि यदि किसी ने किसी आरोपी को कानून से बचाने,साक्ष्य नष्ट करने या जांच में बाधा डालने का प्रयास किया है, तो उसकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की जाए। कानून के जानकारों का कहना है कि यदि जांच में ऐसे आरोप सही पाए जाते हैं,तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य से छेड़छाड़ या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है,समाचार लिखे जाने तक जिन व्यक्तियों के संबंध में आरोप लगाए गए हैं,उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है, पुलिस या संबंधित व्यक्तियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

क्या नौगई तिहरे हत्याकांड पुलिस की लापरवाही का परिणाम था?

नौगई हत्याकांड ...14 जून की अनसुनी शिकायत बनी 16 जून की खूनी रात?

14 जून को मांगी सुरक्षा...16 जून को दर्ज हुई एफआईआर...उसी रात जिंदा जला दिए गए चार लोग...

नौगई हत्याकांड का सबसे बड़ा खुलासाः पहले से खतरे की सूचना थी, फिर भी क्यों नहीं जागी पुलिस?

मयंक सिंह की 14 जून की शिकायत ने खड़े किए पुलिस की भूमिका पर सबसे बड़े सवाल...

जब खतरे की लिखित सूचना थी, तब क्यों नहीं हरकत में आई पुलिस? नौगई हत्याकांड में बड़ा खुलासा...

क्या पुलिस की लापरवाही ने लिख दी नौगई तिहरे हत्याकांड की पटकथा?

पहले शिकायत दब गई,दो दिन बाद एफआईआर हुई,फिर जिंदा जल गए चार लोग!

नौगई हत्याकांड : पुलिस की दोहरी कार्रवाई पर उठे सवाल,एक शिकायत पर पावती,दूसरी पर तत्काल अपराध दर्ज

सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल 14 जून की शिकायत पर कार्रवाई होती तो क्या बच जाती तीन जिंदगियां?

मयंक सिंह के 14 जून 2026 के शिकायत पत्र ने बदली पूरे घटनाक्रम की तस्वीर,सोनहत पुलिस की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल, अब सीबीआई जांच से जवाब की उम्मीद...

सीबीआई जांच के केंद्र में अब केवल हत्यारे नहीं,बल्कि पुलिस की भूमिका भी आ सकती है,14 जून से 16 जून के बीच क्या हुआ,यही बनेगा सबसे बड़ा सवाल...

रवि सिंह

बैकुंठपुर/कोरिया,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हाथों में है,लेकिन जैसे-जैसे नए दस्तावेज और तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे यह मामला केवल एक जघन्य सामूहिक हत्या तक सीमित नहीं रह गया है,अब सवाल सीधे स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली,उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी और संभावित लापरवाही पर उठने लगे हैं,दैनिक घटती-घटना के हाथ लगे दस्तावेजों ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। अब तक आम धारणा यही थी कि विवाद की शुरुआत 16 जून 2026 की दोपहर हुई थी,जब दोनों पक्ष आमने-सामने आए और उसके बाद रात में चार लोगों को जिंदा जलाने जैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घट गई,लेकिन अब 14 जून 2026 का एक लिखित शिकायत पत्र सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम की समयरेखा ही बदल दी है,इस शिकायत पत्र में गंभीर रूप से घायल मयंक सिंह ने सोनहत थाना प्रभारी को लिखित रूप से बताया था कि उन्हें तथा उनके साथियों को त्रिपाठी परिवार के लोगों से जान का खतरा है,उन्होंने स्पष्ट रूप से सुरक्षा की मांग की थी और यह भी उल्लेख किया था कि 10 जून को उन्हें धमकी दी गई थी,सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस शिकायत की सोनहत थाना की प्राप्ति पावती भी उपलब्ध है,जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायत पुलिस तक पहुंची थी,इसके बावजूद पुलिस ने क्या किया? क्या प्राथमिकी दर्ज की गई? क्या दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई? क्या किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई? यदि इन प्रश्नों का उत्तर 'नहीं' है, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक गंभीर संस्थागत विफलता का मामला भी बन सकता है, इसी बीच उपलब्ध एफआईआर से यह भी सामने आता है कि 16 जून 2026 को निशांत त्रिपाठी की शिकायत पर अपराध क्रमांक 0065 तत्काल दर्ज कर लिया गया, जिसमें मयंक सिंह सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया, यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है 14 जून की शिकायत पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई और 16 जून की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कैसे हो गई? यदि पहले आवेदन पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई होती, तो क्या नौगई की भयावह घटना रोकी जा सकती थी?

14 जून की शिकायत ने बदल दी पूरे घटनाक्रम की दिशा...

मयंक सिंह की शिकायत अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुकी है,शिकायत में उन्होंने आठ नामजद लोगों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा था कि उनके और उनके साथियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है,उन्होंने पुलिस से सुरक्षा देने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी,इस शिकायत की प्रतिलिपि स्थानीय विधायक को भी भेजी गई थी, अर्थात यह केवल मौखिक सूचना नहीं थी बल्कि विधिवत लिखित शिकायत थी,जिसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया गया था, यदि पुलिस को पहले से संभावित हिंसा की जानकारी थी,तो फिर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए?

दो दिन बाद दर्ज हुई दूसरी एफआईआर

उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि 16 जून 2026 को दोपहर लगभग 4:47 बजे निशांत त्रिपाठी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई,एफआईआर में मयंक सिंह, उत्कर्ष सिंह, लक्कुकर सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया,यानी जिस व्यक्ति ने दो दिन पहले स्वयं को खतरे में बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी,वही व्यक्ति दो दिन बाद एक आपराधिक प्रकरण में आरोपी बन गया,इसी दिन रात में नौगई में वह भयावह घटना हुई जिसमें चार लोगों को जिंदा जलाया गया,तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर जीवित बचा।

क्या पुलिस ने खतरे के संकेतों को नजरअंदाज किया?

यह प्रश्न अब पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है यदि पुलिस के पास 14 जून को शिकायत थी तो क्या शिकायत का सत्यापन किया गया? क्या दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया? क्या शांति भंग होने की आशंका पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई? क्या सुरक्षा उपलब्ध कराई गई? क्या संभावित हिंसा रोकने का प्रयास किया गया? यदि इनमें से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।

क्या यह वारदात रोकी जा सकती थी?

किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में यदि पुलिस को पहले से संभावित हिंसा की सूचना मिल जाए तो उसका दायित्व केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि संभावित अपराध को रोकना भी होता है,यही कारण है कि अब यह बहस तेज हो गई है कि यदि 14 जून की शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद 16 जून की रात का जघन्य हत्याकांड टाला जा सकता था, यह निष्कर्ष अभी जांच का विषय है,लेकिन उपलब्ध दस्तावेज इस दिशा में गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े करते हैं।

घटना के बाद पुलिस की प्रारंभिक भूमिका भी रही विवादों में...

घटना के शुरुआती दिनों में पुलिस की ओर से दिए गए कुछ प्रारंभिक बयानों को लेकर भी मृतकों के परिजनों ने असंतोष व्यक्त किया था, परिजनों का आरोप था कि घटना की गंभीरता को शुरुआती स्तर पर सही रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया,यही कारण था कि धीरे-धीरे इस मामले में स्थानीय जांच पर प्रश्न उठने लगे और अंततः राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की।

सीबीआई के सामने अब दोहरी चुनौती...

सीबीआई अब केवल यह नहीं देखेगी कि घटना किसने की, जांच का दायरा इससे कहीं व्यापक हो सकता है घटना से पहले क्या परिस्थितियां थीं? दोनों पक्षों के बीच विवाद कब से चल रहा था? पुलिस को पहली सूचना कब मिली? पुलिस ने उस सूचना पर क्या कार्रवाई की? क्या कोई अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा? क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई? क्या कोई प्रशासनिक जवाबदेही बनती है? यदि जांच इन बिंदुओं तक पहुंचती है तो मामला केवल हत्या का नहीं बल्कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व का भी बन सकता है।

घटनास्थल पहुंचकर सीबीआई ने शुरू की जांच...

सीबीआई की छह सदस्यीय टीम कोरिया पहुंच चुकी है,टीम ने पहले चरण में घटनास्थल का निरीक्षण किया,जली हुई गाड़ी का परीक्षण किया, थाना सोनहत पहुंचकर केस डायरी और अन्य अभिलेख देखे,प्रारंभिक विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली, घटनाक्रम की समयरेखा समझने का प्रयास किया, सूत्रों के अनुसार अब सीबीआई अपना स्वतंत्र प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच करेगी।

क्या पुलिस अधिकारियों से भी होगी पूछताछ?

यदि जांच के दौरान यह सामने आता है कि पूर्व सूचना के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी तो जांच एजेंसी संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सीडीआर और डिजिटल साक्ष्य भी बन सकते हैं अहम...

मृतकों के परिजनों की मांग है कि सभी आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाए,मोबाइल लोकेशन की जांच हो, घटना से पहले और बाद के संपर्कों की जांच हो, संभावित षड्यंत्र की दिशा में भी जांच की जाए, यदि ऐसा होता है तो जांच का दायरा काफी विस्तृत हो सकता है।

सीबीआई के लिए चुनौती,विश्वसनीयता के साथ जांच की पूर्णता...

सीबीआई के लिए इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती है खुद की विश्वस्नीयता को बनाए रखना,निष्पक्षता के साथ आरोपियों के लिए सजा का मार्ग तय करना,पीड़ित परिवार का पुलिस पर से उठा विश्वास ही सीबीआई की उपस्थिति का कारण है,अब सीबीआई हर पहलू की जांच करे,हर उस विषय को जांच में शामिल करे जो जन चर्चा और जन भावना है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न...

आज पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न यही है यदि 14 जून 2026 को पुलिस को संभावित हिंसा की लिखित सूचना मिल चुकी थी, तो फिर 16 जून 2026 की रात नौगई में चार लोगों को जिंदा जलाने जैसी भयावह घटना आखिर कैसे घट गई? क्या पुलिस ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया? क्या दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार किया गया? क्या 14 जून की शिकायत पर वैसी ही कानूनी कार्रवाई हुई जैसी 16 जून की शिकायत पर हुई? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या समय रहते कार्रवाई होती तो तीन लोगों की जान बचाई जा सकती थी? इन सभी प्रश्नों के अंतिम उत्तर अब केवल सीबीआई जांच ही दे सकेगी,फिलहाल उपलब्ध दस्तावेज़ एक ऐसी समयरेखा सामने रखते हैं, जिसने नौगई तिहरे हत्याकांड को केवल एक आपराधिक घटना नहीं,बल्कि संभावित प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस की भूमिका की जांच का भी विषय बना दिया है।

खुलासे के बाद जागा पशुपालन विभाग! कागजों में 100% टीकाकरण,अब गांव-गांव दौड़ रही टीमें

घटती-घटना की खबर के बाद बढ़ी विभागीय हलचल...फर्जी आंकड़ों पर उठे सवाल...उप संचालक की भूमिका भी जांच के घेरे में...

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/एमसीबी,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के पशुपालन विभाग में पशुओं के टीकाकरण को लेकर सामने आए कथित फर्जीवाड़े के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है, दैनिक घटती घटना द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद विभाग में अचानक हलचल तेज हो गई है, जिन गांवों के पशुपालकों का आरोप था कि वहां टीकाकरण दल कभी पहुंचे ही नहीं,उन्हीं गांवों में अब विभाग की टीमें तेजी से पहुंचकर टीकाकरण अभियान चला रही हैं। विभाग की इस अचानक सक्रियता ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि शासन को पहले ही पूरे जिले में 100 प्रतिशत टीकाकरण पूरा होने की रिपोर्ट भेजी जा चुकी थी,तो अब दोबारा गांव-गांव जाकर

टीकाकरण करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्या पहले भेजी गई रिपोर्ट वास्तविक थी या केवल कागजों में उपलब्धि दर्शाकर शासन को गुमराह किया गया?

खबर के बाद बदले हालात-ग्रामीणों का कहना है कि समाचार प्रकाशित होने से पहले तक कई गांवों में पशुओं का टीकाकरण नहीं हुआ था,पशुपालकों द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद विभाग की ओर से कोई गंभीर पहल नहीं की गई। लेकिन जैसे ही मामला

सार्वजनिक हुआ और फर्जी आंकड़ों पर सवाल उठे,विभाग सक्रिय हो गया, अब टीकाकरण दल गांव-गांव पहुंच रहे हैं,इससे ग्रामीणों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि यदि वास्तव में पहले ही टीकाकरण पूरा हो चुका था, तो वर्तमान अभियान किस आधार पर चलाया जा रहा है?

उप संचालक की भूमिका पर उठ रहे सवाल-इस पूरे मामले में जिला पशुपालन विभाग के उप संचालक की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है, आरोप है कि विभाग द्वारा शासन को भेजे गए कथित फर्जी आंकड़ों की जानकारी होने के बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, यदि बिना वास्तविक टीकाकरण के ही 100 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाकर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी अभिलेखों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने का गंभीर मामला भी माना जा सकता है, ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट का सत्यापन किए बिना ही उसे स्वीकार कर लिया या फिर पूरी प्रक्रिया उनकी जानकारी में हुई?

क्या लाखों रुपये की राशि पर उठेंगे सवाल?-स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि यदि रिकॉर्ड में शत-प्रतिशत टीकाकरण दर्शाया गया और उसी आधार पर भुगतान भी जारी हुआ, तो सरकारी राशि के उपयोग की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, हालांकि, यह कहना कि वास्तव में वित्तीय अनियमितता हुई है, जांच के बिना उचित नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां निश्चित रूप से इस आशंका को जन्म देती हैं कि यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ और भुगतान हुआ है, तो पूरी प्रक्रिया की जांच आवश्यक है, विशेषज्ञों का भी मानना है कि टीकाकरण जैसी योजनाओं में दवा, परिवहन, मानदेय और अन्य मदों पर सरकारी राशि खर्च होती है, ऐसे में यदि कार्य और रिकॉर्ड में अंतर पाया जाता है, तो वित्तीय जवाबदेही भी तय होना स्वाभाविक है।

किसानों और पशुपालकों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग...

ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों ने शासन से मांग की है कि पूरे जिले के टीकाकरण अभियान की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए,जांच के दौरान निम्न बिंदुओं की पड़ताल करने की मांग की गई है शासन को भेजी गई टीकाकरण रिपोर्ट,गांववार टीकाकरण रजिस्टर एवं फील्ड रिकॉर्ड,लाभार्थी पशुपालकों का भौतिक सत्यापन,टीकाकरण में प्रयुक्त वैक्सीन का रिकॉर्ड, भुगतान एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही, ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़ा, लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कभी 150 रुपये में झूठे बर्तन धोता था धमाल 4 का ये हीरो, आज है 5 करोड़ के घर का मालिक

हिट फिल्में देने के बावजूद एक दौर ऐसा आया कि धमाल 4 फेम स्टार को झूठे बर्तन तक धोने पड़े, जिसके लिए उन्हें दिनभर के गुजारे के लिए 150 रुपये मिलते थे। कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना एक जुए की तरह है। कई सालों तक मेहनत करने के बाद कोई सुपरस्टार बन जाता है तो कोई साइड हीरो बनकर रह जाता है। वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सुपरस्टार के ओहदे से हटकर दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाते हैं।

दूसरी तरफ जो एक्टर इंडस्ट्री से बाहर का होता है उसे डबल मेहनत करनी होती है। अब तक हमने एक्टर्स के स्ट्रगल की कई कहानियां सुनी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में सफलता पाने से पहले कई छोटे-मोटे काम किए। फिर चाहे वह कंडक्टर की जॉब हो या होटल में वेटर की।

कभी 150 रुपये में धोए बर्तन

आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनके स्ट्रगल की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि वे उन्होंने फिल्मों में आने के बाद और उनकी फिल्में सफल होने के बाद स्ट्रगल का दौर देखा। वे सिर्फ 150 रुपये कमाने के लिए दूसरों के झूठे बर्तन धोते थे। लेकिन आज इस एक्टर की फैंस के दिलों में एक खास जगह है और किसी जमाने में 150 रुपये के लिए बर्तन धोने वाला ये एक्टर आज 5 करोड़ के घर का मालिक है।

इन फिल्मों में छोड़ी एक्टिंग की छाप

हाल ही में इन्हें धमाल 4 में देखा गया, इसके पहले उन्होंने वेलकम, न्यूटन, गोलमाल,भूल भुलैया,सन ऑफ सरदार,जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कला सिर्फ कॉमेडी जॉनर तक ही सिमटी हुई है। उन्होंने वध और इसके सीक्वल में अपनी गंभीर एक्टिंग की भी एक अलग छाप छोड़ी है।

दर्शकों के दिलों में बनाई एक खास जगह

हम बात कर रहे हैं कॉमेडी फिल्मों में जान डालने वाले और हर किरदार के साथ न्याय करने वाले एक्टर संजय मिश्रा की। दरअसल संजय मिश्रा के पिता का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था और इस वजह वे फिल्में छोड़कर ऋषिकेश चले गए थे। जहां गुजारा करने के लिए वे एक ढाबे पर आमलेट बनाते और 150 दिन के हिसाब से बर्तन धोने का काम करते थे।

रोहित शेट्टी ने दिया फिल्मों में चांस

ये काम उन्होंने हिट फिल्म गोलमाल के बाद किया जब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। इसके बाद रोहित शेट्टी ने उन्हें ऑल द बेस्ट में काम करने का चांस दिया। उन्होंने एक्टर को फोन किया और उन्हें वापस फिल्म इंडस्ट्री में बुला लिया।

संजय मिश्रा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की शिक्षा ली और 1995 की फिल्म ओ डार्लिंग! ये है इंडिया! से एक्टिंग की शुरुआत की। उन्होंने आंखों देखी (2015) और वध (2022) फ़िल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए दो बार फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता है, साथ ही कई अन्य पुरस्कार और नॉमिनेशन भी हासिल किए हैं।

लोकेश कनगराज का धाकड़ डेब्यू,डीसी में खूंखार देवदास बनकर हिला देंगे पर्दा,रिलीज़ डेट तय...

डीसी की रिलीज़ डेट तय हो गई है। मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज इस फ़िल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। फ़िल्म का नाम डीसी है और इसे अरुण मथेश्वरन डायरेक्ट कर रहे हैं। फ़िल्म में वामिका गब्बी फीमेल लीड रोल में हैं।ताज़ा जानकारी के मुताबिक,मेकर्स ने फ़िल्म की रिलीज़ डेट तय कर ली है। यह फ़िल्म 31 जुलाई 2026 को रिलीज़ होगी। मेकर्स ने किरदारों को दिलचस्प और आकर्षक अंदाज़ में पेश करते हुए नया पोस्टर जारी करके इसकी पुष्टि की। पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने लिखा, देवदास और चंद्रा बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं! डीसी 31 जुलाई से दुनिया भर में रिलीज़ हो रही है।

मेकर्स आने वाले दिनों में फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। अरुण और फ्रैंकलिन जैकब ने डायलॉग लिखे हैं, जबकि अरुण रंजन ने अतिरिक्त स्क्रीनप्ले लिखा है। यह फ़िल्म सन पिक्चर्स बैनर तले बन रही है। फ़िल्म में संजना कृष्णमूर्ति भी अहम भूमिका में हैं और अनिरुद्ध रविचंदर इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं।

जया कृष्णा घट्टामनेनी और राशा थडानी की फ़िल्म श्रीनिवास मंगपुरम की रिलीज की तारीख से उठा पर्दा, 30 जुलाई को रिलीज़ होगी

जया कृष्णा घट्टामनेनी की फ़िल्म श्रीनिवास मंगपुरम से वे बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं और यह फ़िल्म 30 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज़ होगी। अजय भूपति के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक-एक्शन फ़िल्म को एक अच्छा मौका मिला है क्योंकि इस दौरान किसी बड़े स्टार की फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है। प्रोड्यूसर पी. किरण और प्रेजेंटर अश्विनी दत्त फ़िल्म की चर्चा बनाए रखने के लिए ज़ोर-शोर से प्रमोशन करने की योजना बना रहे हैं। राशा थडानी इस फ़िल्म से जया कृष्णा के साथ तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं।30 जुलाई की तारीख का एक खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन 1999 में महेश बाबू की फ़िल्म राजकुमारुडु रिलीज़ हुई थी। पहले यह फ़िल्म 9 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने तारीख बदल दी ताकि यह अखिल की फ़िल्म लेनिन के साथ न टकराए। मोहन बाबू विलेन का रोल निभा रहे हैं, जिससे फ़िल्म में स्टार पावर जुड़ गई है। अजय भूपति ने तिरुपति-चित्तूर की पृष्ठभूमि में रोमांस, इमोशन और ज़बरदस्त एक्शन का मेल दिखाया है।प्रमोशनल कंटेंट में जया कृष्णा की दमदार मौजूदगी और राशा के साउथ इंडियन लुक, एक्शन अवतार और डांस स्किल्स की तारीफ़ हो रही है। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का मुख्य विषय है। जीवी प्रकाश कुमार के संगीत और शानदार विज़ुअल्स ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही ट्रेलर से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है। अजय भूपति ने युवा प्रेम को पूरी शिद्दत के साथ दिखाया है और कमर्शियल एलिमेंट्स व ज़मीनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखा है। मोहन बाबू का अहम रोल कहानी के टकराव को और मज़बूत बनाता है, जबकि राशा की बॉलीवुड में लोकप्रियता फिल्म की पहुँच बढ़ाने में मदद करती है। महेश बाबू के भतीजे के ज़रिए कृष्णा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, श्रीनिवासा मंगपुरम का लक्ष्य परिवार और एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक बेहतरीन डेब्यू फिल्म पेश करना है।

रेड वेलवेट गाउन में कंगना शर्मा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

अपनी बोल्डनेस और बेहतरीन स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें साझा की हैं,जिन्हें देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं।तस्वीरों में कंगना शर्मा चमकीले लाल रंग का एक शानदार वेलवेट गाउन पहने नजर आ रही हैं। यह एक थाई-हाई स्लिट गाउन है, जो उनके टोंड लेग्स को पूरी तरह फ्लॉन्ट कर रहा है।

गाउन का डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन डिजाइन कंगना के लुक को और भी ज्यादा बोल्ड और सिजलिंग बना रहा है। इस फुल-स्लीव्स आउटफिट के साथ उन्होंने मैचिंग रेड कलर का स्लिंग बैग कैरी किया हुआ है,जो उनके ओवरऑल अपीयरेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।कंगना ने अपने इस लुक को पूरा करने के लिए बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाई है, जो उनके चेहरे पर काफी निखर कर आ रही है। स्मोकी आइज और परफेक्ट ब्लश के साथ उनका फेशियल ग्लो देखते ही बनता है।बालों की बात करें तो उन्होंने अपने वेवी हेयर्स को साइड-पार्टिंग के साथ खुला रखा है, जो उनके कंधों पर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। गले में पहना हुआ हैवी स्टेटमेंट सिल्वर नेकपीस उनके नेकलाइन को एक रॉयल टच दे रहा है। खुले आसमान के नीचे रात के वक्त क्लिक की गई इन तस्वीरों में कंगना का कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। कंगना एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। रेड हील्स पहने हुए उनके ये कातिलाना पोज इंटरनेट का तापमान बढ़ाने के लिए काफी हैं।

खेल समाचार

रोहित-बुमराह-कुलदीप के लौटने से टीम इंडिया होगी मजबूत

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी से भारत की बल्लेबाजी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि रोहित का अनुभव और शॉर्ट-पिच गेंदबाजी के खिलाफ उनकी कामयाबी का असर तुरंत दिखेगा।

अभिषेक नायर ने जियोस्टार पर कहा, टी20 सीरीज में भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती शॉर्ट पिच गेंद थी। रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो शॉर्ट-पिच गेंदबाजी का बखूबी फायदा उठाते हैं और उस पर खूब रन बनाते हैं। अगर आप विदेशी पिचों पर अच्छा खेलते हैं,तो इसकी एक वजह यह है कि आप तेज गेंदबाजी का अच्छे से सामना कर सकते हैं और शॉर्ट गेंद पर रन बना सकते हैं। भारत को शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों से यही मिलेगा।

नायर को लगता है कि रोहित की मौजूदगी ही इंग्लैंड को अपनी गेंदबाजी की रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। उन्होंने कहा, इंग्लैंड को अपनी रणनीति बदलनी होगी

और उनके खिलाफ अलग तरह से गेंदबाजी करनी होगी। बड़े खिलाड़ी यही करते हैं, वे अपने खेलने का तरीका नहीं बदलते, बल्कि विरोधी टीम को उन्हें टारगेट करने का तरीका बदलने पर मजबूर कर देते हैं। रोहित की वापसी से भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा। जब आप बड़ी सीरीज और बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, तो अनुभव आपको आत्मविश्वास देता है।

पूर्व सहायक कोच ने जसप्रीत बुमराह की वापसी का स्वागत करते हुए कहा, अनुभव के साथ, आप समझ जाते हैं कि अपने काम का बोझ कैसे संभालना है। मुझे यकीन है कि वह गेंदबाजी करेंगे, अपने ओवरों पर नजर रखेंगे और धीरे-धीरे अपनी फिटनेस और कंडीशनिंग को बेहतर बनाएंगे ताकि वे 10 ओवर गेंदबाजी कर सकें। बुमराह के पास जो हुनर है, वह लंबे फॉर्मेट और 50-ओवर के क्रिकेट में बहुत कीमती है, जहां आप स्पेल में गेंदबाजी कर सकते हैं। यह जान सकते हैं कि कब अपनी गति बढ़ानी है और कब अपनी धीमी गेंदों का इस्तेमाल करना है, जो बहुत असरदार होती हैं।

उन्होंने कहा, बुमराह को पता है कि अपने खेल को कैसे बेहतर बनाना है। उन्होंने पूरा आईपीएल खेला है। वे इसके लिए तैयारी कर रहे थे। आप बस उन्हें सावधानी से संभालना चाहेंगे। इन तीन मैचों में भी, आप चाहेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा दो ही मैच खेलें।

कुलदीप यादव पर नायर ने कहा, उन्होंने ने तब अच्छा प्रदर्शन किया है जब उन्हें पिच से गति मिली है। भले ही उनका आईपीएल बहुत अच्छा नहीं रहा,लेकिन कुलदीप यादव के बारे में एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वह यह है कि उन्होंने अपनी गति में बदलाव करना सीख लिया है। उन्होंने कहा कि स्पिनर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए टीम मैनेजमेंट का भरोसा बहुत जरूरी होगा। एक समय था जब वे तेज गेंदबाजी कर रहे थे और गेंद को हवा में ज्यादा नहीं उछाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सही संतुलन पा लिया है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के हालात उनके अनुकूल होंगे क्योंकि जब उन्हें पिच से गति मिलती है, तो वे और भी खतरनाक हो जाते हैं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप कुलदीप यादव को कितना भरोसा दिला सकते हैं। अगर वे खेलना शुरू करते हैं,तो मेरा मानना है कि उन्हें भारतीय टीम में लगातार खेलने का मौका मिलना चाहिए।

विश्व कप से हटाए जाने के बाद डच रेफरी का निधन

नई दिल्ली,14 जुलाई 2026। डच फुटबॉल रेफरी रॉब डाइपरिंक का निधन हो गया है। उन्हें ब्रिटेन में दर्ज एक पुलिस केस के बाद वर्ल्ड कप में रेफरी की भूमिका से हटा दिया गया था, हालांकि बाद में वह केस वापस ले लिया गया था।डाइपरिंक की मौत की वजह नहीं बताई गई है। नीदरलैंड्स के फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा कि वे डीपरिंक की मौत से हैरान और बहुत दुखी हैं। एसोसिएशन ने कहा, रॉब डीपरिंक के निधन से हम हैरान और बहुत दुखी हैं। रॉब के जाने से फुटबॉल की दुनिया ने अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले एक बहुत सम्मानित रेफरी को खो दिया है, लेकिन सबसे बढ़कर, हमने एक बेहतरीन साथी खो दिया है। डच फुटबॉल एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ हैं जो उनके करीबी थे। हम कामना करते हैं कि इस बड़े नुकसान को सहने के लिए उन्हें हिम्मत और सांत्वना मिले। फीफा ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा,पूरे फुटबॉल समुदाय की ओर से हम उनके परिवार, दोस्तों और डच फुटबॉल एसोसिएशन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।एक किशोर लड़के के साथ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अप्रैल में 38 साल के डाइपरिंक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूत न होने के कारण मामला बंद कर दिया गया।

डीपरिंक को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए वीडियो

असिस्टेंट रेफरी अधिकारी के तौर पर चुना गया था, लेकिन मई में उन्हें वर्ल्ड कप अधिकारियों की लिस्ट से हटा दिया गया था।

फीफा से हटाए जाने के बाद डच अखबार को दिए एक इंटरव्यू में डीपरिंक ने कहा कि उन पर गलत आरोप लगाया गया था। रॉब डाइपरिंक 2011/12 सीजन से प्रोफेशनल फुटबॉल में रेफरी के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 2017 के आखिर में अपना पहला एरेडिविसी मैच रेफरी के तौर पर कराया। उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल में कुल 284 मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई।

बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधू का जलवा

टोक्यो,14 जुलाई 2026। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली, वहीं पुरुष डबल्स की स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को कंधे की चोट के कारण अपने मुकाबले के बीच से हटना पड़ा।

महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधू ने मलेशिया की वोंग लिंग चिंग के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। सिंधू ने मुकाबले में अपनी लय बनाए रखते हुए सीधे गेम में जीत दर्ज की और दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। सिंधू के आक्रामक खेल और अनुभव के सामने मलेशियाई खिलाड़ी ज्यादा चुनौती पेश नहीं कर सकीं।

सिंधू ने पूरे मुकाबले के दौरान धैर्य और नियंत्रण के साथ खेलते हुए महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। लंबे समय से फॉर्म में वापसी की कोशिश कर रहीं सिंधू के लिए यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली मानी जा रही है। अब उनकी नजरें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने और मजबूत प्रदर्शन करने पर हैं। दूसरी ओर, पुरुष डबल्स में भारत की स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को निराशा का सामना करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज भारतीय जोड़ी को कंधे की चोट के कारण अपना मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा।

सात्विक और चिराग का सामना डेनमार्क की जोड़ी डेनियल लुंडगार्ड और मैड्स वेस्टरगार्ड से था। भारतीय जोड़ी पहला गेम 19-21 से हार गई थी। इसके बाद सात्विक के कंधे की परेशानी बढ़ने के कारण उन्होंने और चिराग ने आगे नहीं खेलने का फैसला किया।

हालांकि, टूर्नामेंट से पहले सात्विक-चिराग अच्छी लय में नजर आ रहे थे। इस जोड़ी ने हाल ही में सिंगापुर ओपन का खिताब जीतकर दो साल से चले आ रहे अपने खिताबी सूखे को खत्म किया था। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया ओपन में हिस्सा नहीं लिया था।

हार के बाद भी हीरो बनी नॉर्वे की टीम,ओस्लो में हुआ शानदार स्वागत

ओस्लो,14 जुलाई 2026। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल तक के ऐतिहासिक सफर के बाद नॉर्वे के नेशनल टीम के खिलाड़ियों का स्वागत रॉयल पैलेस के बाहर स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों प्रशंसकों ने टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

अनुमान के मुताबिक, 90 हजार समर्थकों ने पैलेस स्क्वायर में टीम का जोरदार स्वागत किया। नॉर्वे को मियामी में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। यह नतीजा नॉर्वे का फीफा वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। मार्टिन ओडेगार्ड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसी कल्पना की होगी। हमें जो समर्थन मिला है,वह उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा है। चाहे अमेरिका में हो या यहां नॉर्वे में। यह देखना वाकई अद्भुत रहा है।नॉर्वे के कोच स्टेल सोलबक्केन ने कहा, राजा ने हमें पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। हम भी थोड़े हैरान थे कि यह इतना बड़ा आयोजन था। इसके अलावा, फुटबॉल पर कुछ अच्छी बातचीत भी हुई।हालांकि, टीम के टॉप स्कोरर एर्लिंग हालैंड और सैंडर बर्गे इस पब्लिक सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें छुट्टी मनाने के लिए दूसरी फ्लाइट पकडऩी थी।एनआरके के अनुसार सोलबक्केन ने कहा,वे दोनों आए और राजा से बात की,लेकिन हम चार-पांच घंटे देर से पहुंचे थे। उन्हें प्लेन पकडऩे के लिए निकलना था, लेकिन वे पैलेस के अंदर गए और राजा हेराल्ड से बातचीत की। जाने से ठीक पहले तक उन्होंने पूरे प्लान का पालन किया।

CMYK

विधानसभा में खाद-बीज संकट पर हंगामा

कांग्रेस के 35 विधायक निलंबित....

भूपेश बघेल बड़ा हमला....अनिल अग्रवाल पर एफआईआर को बताया दबाव की राजनीति

रायपुर,14 जुलाई 2026। खरीफ सीजन में खाद और बीज की कथित कमी को लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने किसानों की समस्याओं को लेकर काम रोको प्रस्ताव पेश करते हुए तत्काल चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान खाद,बीज और सिंचाई जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान हैं। हालांकि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में खाद और उन्नत बीज की पर्याप्त उपलब्धता है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सक्ती वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज करना सरकार का एक दिखावटी कदम है। बघेल ने सरकार से कड़ा सवाल किया कि क्या यह कार्रवाई केवल मामले को दबाने के लिए की गई है? उन्होंने पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए पूछा कि क्या भविष्य में होने वाले ऐसे हादसों में भी कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या यह नियम सिर्फ अनिल अग्रवाल तक सीमित है? सरकार ने दावा किया कि खरीफ 2026 की तैयारियों के लिए पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और प्रमाणित बीज का भंडारण किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। सदन में लगातार शोर-शराबा और हंगामे की स्थिति बनी रहने के बाद 35 कांग्रेस विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया।

कांग्रेस ने किसानों की परेशानी का उठाया मुद्दा...

कांग्रेस की ओर से लाए गए प्रस्ताव में कहा गया कि प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई का समय चल रहा है,लेकिन किसान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि बारिश की कमी के कारण कई किसान सिंचाई पंपों के सहारे खेती करने को मजबूर हैं। लेकिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से फसल प्रभावित हो रही है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि धान की प्रमुख किस्मों के बीजों की कमी के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि किसानों से जुड़े इस गंभीर विषय पर सदन में तुरंत चर्चा कराई जाए और सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

कृषि मंत्री ने आरोपों को बताया गलत,बोले पर्याप्त है खाद-बीज का स्टॉक : कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय जवाब पेश करते हुए विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है और सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था की है। सरकार के अनुसार खरीफ 2026 के लिए कुल 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य तय किया गया था। इसके मुकाबले 14.06 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 90 प्रतिशत उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। कृषि विभाग ने बताया कि किसानों की मांग के अनुसार प्रमाणित बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। धान सहित अन्य फसलों के बीजों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को समय पर बीज मिल सके।

4.54 लाख क्विंटल बीज का हुआ भंडारण : सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि सहकारी समितियों में लगभग 4.54 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का भंडारण किया गया था। इसमें से 3.73 लाख क्विंटल बीज किसानों को वितरित किया जा चुका है,जबकि करीब एक लाख क्विंटल बीज अभी भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि धान की लोकप्रिय किस्मों के साथ-साथ अन्य फसलों के बीज भी मांग के अनुसार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है।

डीएपी,पोटाश और अन्य उर्वरकों का भी पर्याप्त भंडारण

कृषि विभाग ने बताया कि केवल डीएपी और पोटाश ही नहीं,बल्कि एनपीके और सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। सरकार ने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों पर लगातार व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने एग्रीस्टैक पंजीयन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। विभाग ने कहा कि एग्रीस्टैक में पंजीयन कृषि ऋण लेने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। इसका उद्देश्य केवल फसलवार वास्तविक क्षेत्र की जानकारी जुटाना है, जिससे योजनाओं का बेहतर संचालन किया जा सके।

94 अमानक उर्वरक मामलों में बिक्री पर रोक

सरकार ने विधानसभा में बताया कि उर्वरकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष उर्वरकों के कई नमूने लिए गए,जिनमें 94 मामले अमानक पाए गए। इन मामलों में संबंधित उर्वरक स्टॉक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद बढ़ा विवाद

सरकार के जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं माना और तत्काल चर्चा की मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। नारेबाजी और हंगामे के बीच कई कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंच गए। सदन की व्यवस्था बिगड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 35 कांग्रेस सदस्यों को निलंबित कर दिया। खाद-बीज और किसानों के मुद्दे को लेकर विधानसभा में हुआ यह हंगामा अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। जहां कांग्रेस सरकार पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार का कहना है कि प्रदेश में खाद, बीज और सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।

अजय चंद्राकर और बघेल के बीच हुई बहस

बहस के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सदन के भीतर किसी व्यक्ति का नाम लेकर इस तरह कार्रवाई की मांग करना उचित नहीं है। चंद्राकर ने तर्क दिया कि यदि किसी पर आरोप है, तो प्रक्रिया के तहत उन्हें सदन में बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। इस पर भूपेश बघेल ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार में हिम्मत है तो उन्हें सदन में बुलाकर दिखाए। मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि सदन की कार्यवाही के दौरान तीखी बहस का केंद्र बन गया।

'छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो' के नारों से गूंजा सदन

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन पर की गई कार्रवाई केवल उन्हें दबाव में लाने और किसी अन्य बड़े औद्योगिक घराने को लाभ पहुँचाने की एक सोची-समझी साजिश है। कांग्रेस ने सदन में आरोप लगाया कि सरकार अडानी ग्रुप को फायदा पहुँचाने के लिए वेदांता के खिलाफ यह कार्रवाई कर रही है।

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...सिर्फ रिश्वत की रकम मिलना गुनाह का सबूत नहीं,मांग साबित करना जरूरी

बिलासपुर,14 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक अहम प्रकरण में स्पष्ट किया है कि केवल रिश्वत की राशि बरामद हो जाने से किसी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा है, अभियोजन को यह भी निर्विवाद रूप से साबित करना होगा कि आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध दो सरकारी कर्मचारियों की सजा निरस्त करते हुए उन्हें बरी कर दिया। न्यायालय का निष्कर्ष रहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांगने के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अभियोजन ने रिश्वत मांगने से जुड़ी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की थी, लेकिन उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को वैध रूप से प्रस्तुत करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद आवाज की पुष्टि के लिए संबंधित व्यक्तियों के वॉइस सैंपल और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट जैसे तकनीकी साक्ष्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस मामले में जांच एजेंसी न तो शिकायतकर्ता और आरोपियों के वॉइस सैंपल प्राप्त कर सकी और न ही रिकॉर्डिंग की

आवाज का वैज्ञानिक सत्यापन कराया गया। इन परिस्थितियों में हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन आरोपों को आवश्यक कानूनी मानकों के अनुरूप सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन पक्ष का आरोप है, शिकायतकर्ता, जिसकी पत्नी की सैलरी छह महीने से रुकी हुई, उससे याचिकाकर्ताओं की ओर से सैलरी जारी करने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत के तौर पर देने को कहा था। एंटी-करप्शन ब्यूरो एसीबी के कहने पर शिकायतकर्ता ने आरोपियों के साथ बातचीत रिकॉर्ड की और 12 अक्टूबर 2010 को किए गए ट्रैप के दौरान, अनिल की जेब से रिश्वत के नोट बरामद किए गए। जांच अधिकारी ने माना कि न तो आरोपियों और न ही शिकायतकर्ता के वॉइस सैंपल लिए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी माना कि रिकॉर्ड की गई बातचीत साफ नहीं है, क्योंकि उसमें कई लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं।

महादेव सट्टा : कारोबारी विकास गर्ग दिल्ली से गिरफ्तार

ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर आ रही ईडी,940 करोड़ की प्रॉपर्टी की थी जब्त

रायपुर,14 जुलाई 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विकास गर्ग को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। एडिशनल सेशंस जज विजय शंकर ने गर्ग को रायपुर लाकर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी है। ईडी की टीम विकास गर्ग को रायपुर लेकर आ रही है। बुधवार को उसे रायपुर की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कस्टोडियल रिमांड की मांग की जाएगी। ईडी अब विकास गर्ग से महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ करेगी। बता दें कि पिछले दिनों ईडी ने विकास गर्ग की 940 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की थी।

हर महीने 450 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार : ईडी ने इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस के दुर्ग जिले में दर्ज एफआईआर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में दर्ज मामलों के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित 'पैनल नेटवर्क' के जरिए काम कर रहा था। एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क से हर महीने 450 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हो रही थी।

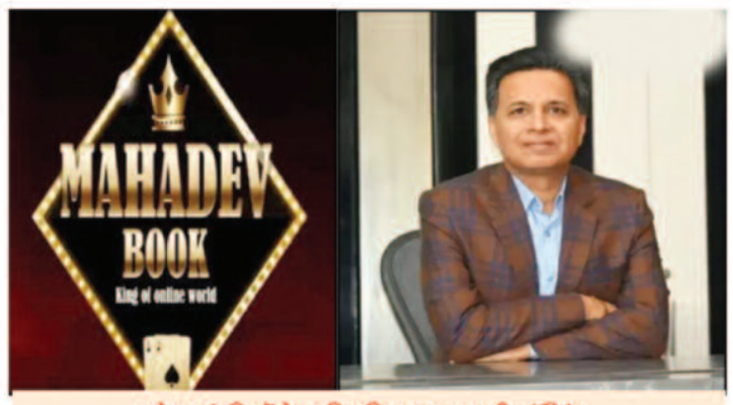

शेल कंपनियों के जरिए किया गया मनी लॉन्ड्रिंग

जांच में ईडी को पता चला कि अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे को कैश के बदले फर्जी कंपनियों और कई स्तर के वित्तीय लेन-देन के जरिए वैध दिखाया गया। एजेंसी के मुताबिक, अपराध से कमाए गए करीब 940.77 करोड़ रुपए विकास गर्ग के नियंत्रण वाली कंपनियों में पहुंचाए गए। बाद में इस रकम से शेयर, निवेश और अन्य संपत्तियां खरीदी गईं।

पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई : ईडी ने बताया कि इस मामले में इससे पहले 7 बार संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। वहीं, एजेंसी रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में कई अभियोजन शिकायतें भी दाखिल कर चुकी है। अदालत धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में संज्ञान भी ले चुकी है।

अब तक 3800 करोड़ की संपत्ति अटैच : इस कार्रवाई से पहले ईडी इस मामले में करीब 2,825 करोड़ रुपए की चल-अचल और विदेशी संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज कर चुकी थी। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज बेटिंग मामले में कुर्क, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर लगभग 3,800 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ईडी का कहना है कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है।

रायपुर में 16 जुलाई को निकलेगी जगन्नाथ रथयात्रा,राज्यपाल और सीएम निभाएंगे 'छेरा पहरा' की परंपरा

रायपुर,14 जुलाई 2026। राजधानी रायपुर का श्री जगन्नाथ मंदिर, गायत्री नगर 16 जुलाई को आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर होगा। पुरी की परंपरा के अनुरूप भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीन भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। वहीं 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रथयात्रा से पहले 14 जुलाई शाम 6 बजे मंदिर परिसर में नेत्रोत्सव का धार्मिक अनुष्ठान होगा। इसके बाद भगवान के रथारोहण और यात्रा की अंतिम तैयारियां पूरी की जाएंगी। इस वर्ष रथयात्रा का विशेष आकर्षण 'छेरा पहरा' की परंपरा रहेगी। इस रस्म में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भगवान के रथ के सामने सोने की झाड़ू से सेवा करेंगे। यह परंपरा सेवा, समर्पण और समानता का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं। रथयात्रा के दिन सुबह विशेष पूजा-अर्चना,अभिषेक और हवन के बाद भगवान का चंदन,केसर, कस्तूरी और कपूर जैसे सुगंधित द्रव्यों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और मंगल वाद्ययंत्रों के बीच भगवान को रथों पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार,इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन ने सुरक्षा,यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है।

राजिम को मिला नगर पालिका का दर्जा राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

रायपुर,14 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिमवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान नगर पंचायत की सीमाएं ही अब नगर पालिका क्षेत्र की सीमाएं होंगी। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राजिम में खुशी का माहौल है। नगर पालिका बनने से शहर के नियोजित विकास के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस निर्णय से राजिम के विकास को नई गति मिलेगी। सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन जैसी शहरी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी अब अधिक प्रभावी तरीके से नागरिकों तक पहुंच सकेगा।

तीजन बाई के दशगात्र में उमड़ा जनसैलाब,सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि,तीन बड़ी घोषणाएं की....

लोककला की महान साधिका डॉ. तीजन बाई की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

दुर्ग,14 जुलाई 2026। दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के दशगात्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक अनुज शर्मा, राज्य मंत्री मोना सेन और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने दिवंगत लोक कलाकार की स्मृति में पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वातावरण में हर तरफ भावुकता का माहौल था, जहाँ लोग अपनी प्रिय कलाकार को अंतिम नमन करने पहुँचे थे।

मुख्यमंत्री ने तीजन बाई को बताया छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. तीजन बाई को छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का पर्याय और एक 'अमूल्य धरोहर' निरूपित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपनी अद्भुत पंडवानी गायन शैली के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे विश्व में राज्य का मस्तक गर्व से ऊँचा किया है। मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से प्रदेश ने एक ऐसा सितारा खो दिया है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने स्मरण किया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया था और प्रधानमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष रूप से उनके योगदान का उल्लेख कर उन्हें सम्मान दिया था।

मुख्यमंत्री साय की तीन ऐतिहासिक घोषणाएँ

- **डॉ. तीजन बाई राज्य अलंकरण :** भविष्य में लोक कला के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को 'डॉ. तीजन बाई राज्य अलंकरण पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा, ताकि उनका नाम सदैव जीवित रहे।
- **शिक्षण संस्थान का नामकरण :** गनियारी स्थित शासकीय स्कूल का नाम अब आधिकारिक तौर पर 'डॉ. तीजन बाई' के नाम पर रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें।
- **स्मृति का संरक्षण :** लोक कला की इस महान साधिका का 'तंबूरा' रायपुर स्थित संग्रहालय में पूरे सम्मान के साथ संरक्षित किया जाएगा, जो उनकी गौरवशाली विरासत का साक्षी बना रहेगा।

एक युग का अवसान: लोक संस्कृति की महान साधिका को याद : पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को रायपुर स्थित एम्स में उपचार के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश-विदेश में शोक की लहर दौड़ गई थी। दशगात्र कार्यक्रम में जुटी भीड़ यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि डॉ. तीजन बाई का आम लोगों के दिलों में कितना बड़ा स्थान था। उन्होंने अपने जीवनकाल में महाभारत की कथाओं को पंडवानी के माध्यम से जिस जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया, उसने उन्हें कला जगत का अमर व्यक्तित्व बना दिया। उनके जाने से लोक संगीत के एक गौरवशाली युग का अंत हुआ है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित की गई परंपराएं हमेशा जीवित रहेंगी।

भिलाई में दो मंजिला इमारत में भीषण आग,बालकनी से कूदकर लोगों ने बचाई जान

भिलाई,14 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर स्थित रामनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक दो मंजिला इमारत में अचानक आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस इमारत के निचले तल (ग्राउंड फ्लोर) पर एक दुकान संचालित होती है, जबकि ऊपर की मंजिल पर एक परिवार निवास करता है। रात के समय अचानक उठी आग की तेज लपटों और धुएं के गुबार को देखकर आसपास के निवासियों में दहशत फैल गई। आग इतनी भयावह थी कि जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोगों को अपनी जान की बाजी लगाकर बालकनी से नीचे कूदना पड़ा। घटना की सबसे सराहनीय बात स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस रहा। जैसे ही आग की सूचना फैली, आसपास के युवा तुरंत

घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने बिना किसी देरी के अपनी जान जोखिम में डालकर बाल्टियों और नल के पाइपों की मदद से पानी डालना शुरू किया, ताकि आग को पड़ोसी घरों तक फैलने से रोका जा सके। इसी बीच, कुछ निवासियों ने अत्यधिक जोखिम उठाते हुए बालकनी के रास्ते घर के अंदर प्रवेश किया और रसोई में रखे गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यदि समय रहते सिलेंडर को न निकाला जाता,तो धमाके के साथ एक बड़ी जानलेवा त्रासदी हो सकती थी। लोगों की इस सूझबूझ ने निश्चित रूप से एक बड़े हादसे को टाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई पुलिस और दमकल विभाग की टीम को सूचित किया गया। दमकल की गाड़ियाँ तुरंत मौके पर पहुँच गईं। हालांकि, जब तक दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुँचे,तब तक स्थानीय निवासियों के अथक प्रयासों से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। पुलिस बल ने मौके पर जमा हुई भीड़ को नियंत्रित किया और राहत कार्यों में दमकल विभाग को पूरा सहयोग दिया। पुलिस की मौजूदगी ने स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में मदद की।

आत्मानंद स्कूल में अजीब वाकया...चीखने-चिल्लाने लगीं छात्राएं, बेहोश हुईं,3 दिन में 8 केस, काउंसलिंग के लिए पहुंची साइकोलॉजिकल टीम

भिलाई,14 जुलाई 2026। खम्हरिया स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पिछले तीन दिनों के दौरान कक्षा 9वीं-ए की आठ छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। छात्राओं में चीखने-चिल्लाने, हाथ-पैर अकड़ने, बेहोश होने और बोलने में दिक्कत जैसी स्थिति देखी गई। सभी छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ समय बाद उनकी हालत सामान्य हो गई। डॉक्टरों की जांच में किसी प्रकार की गंभीर शारीरिक समस्या सामने नहीं आई है। मामले को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और छात्राओं की काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिकल टीम को बुलाया गया है। स्कूल की प्राचार्य सुनीता दीवान ने बताया कि पहली घटना 9 जुलाई को शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच हुई। एक छात्रा को अचानक चक्कर आने पर उसे स्टाफ रूम ले जाया गया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)